

سُورَةُ النِّسَاء - 4

سُورَةُ النِّسَاء

यह सूरह मद्दनी है, इस में 176 आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त
कृपाशील तथा दयावान् है।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. हे मनुष्यों! अपने^[1] उस पालनहार से डरो, जिस ने तुम को एक जीव (आदम) से उत्पन्न किया, तथा उसी से उस की पत्नी (हव्वा) को उत्पन्न किया, और उन दोनों से बहुत से नर नारी फैला दिये। उस अल्लाह से डरो जिस के द्वारा तुम एक दूसरे से (अधिकार) माँगते हो, तथा रक्त संबंधों को तोड़ने से डरो, निस्संदेह अल्लाह तुम्हारा निरीक्षक है।
2. तथा (हे संरक्षको!) अनाथों को उन

يَا يَاهُمَا النَّاسُ الْقَوْارِيْكُلُّ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
مِّنْ نُطْقٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَعَثَ
مِنْهُمْ لِرِجَالٍ كَثِيرٍ أَوْ نِسَاءٍ وَأَنْقُوَ اللَّهُ
الَّذِيْ تَسْأَمُونَ بِهِ وَالْأَعْمَامُ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

وَالَّذِيْ يَشْتَهِيْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْعَبْيَيْث

1. यहाँ से सामाजिक व्यवस्था का नियम बताया गया है कि विश्व के सभी नर नारी एक ही माता पिता से उत्पन्न किये गये हैं। इस लिये सब समान हैं। और सब के साथ अच्छा व्यवहार तथा भाई चारे की भावना रखनी चाहिये। और सब के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। यह उस अल्लाह का आदेश है जो तुम्हारे मूल का उत्पत्तिकार है। और जिस के नाम से तुम एक दूसरे से अपना अधिकार माँगते हो कि अल्लाह के लिये मेरी सहायता करो। फिर इस साधारण संबंध के सिवा गर्भाशयिक अर्थात् समीपवर्ती परिवारिक संबंध भी हैं जिसे जोड़ने पर अधिक बल दिया गया है। एक हीस में है कि संबंध भंगी स्वर्ग में नहीं जायेगा। (सहीह बुखारी - 5984, मुस्लिम- 2555) इस आयत के पश्चात् कई आयतों में इन्हीं अल्लाह के निर्धारित किये मानव अधिकारों का वर्णन किया जा रहा है।

के धन चुका दो, और (उन की) अच्छी चीज़ से (अपनी) बुरी चीज़ न बदलो, और उन के धन अपने धनों में मिला कर न खाओ, निस्सदेह वह बहुत बड़ा पाप है।

3. और यदि तुम डरो कि अनाथ (बालिकाओं) के विषय^[1] में न्याय नहीं कर सकोगे तो नारियों में से जो भी तुम्हें भायें, दो से, तीन से चार तक से विवाह कर लो। और यदि डरो कि न्याय नहीं करोगे तो एक ही से करो, अथवा जो तुम्हारे स्वामित्व^[2] में हों उसी पर बस करो। यह अधिक समीप है कि अन्याय न करो।
4. तथा स्त्रियों को उन के महर (विवाह उपहार) सप्रसन्नता से चुका दो। फिर यदि वह उस में से कुछ तुम्हें अपनी इच्छा से दे दें तो प्रसन्न हो कर खाओ।
5. तथा अपने धन जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिये जीवन स्थापन का साधन बनाया है अज्ञानों को न^[3] दो। हाँ, उस में से

بِالْفَطِيبٍ وَلَا كَلَوًا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ
إِنَّهُ كَانَ حُوَيْا كَيْرِيًّا

وَلَنْ خُفْلَمْ أَلْتَقِطُوا فِي الْيَتَمَّيِ
فَإِنِّي كُحُوا مَا طَابَ لِكُمْ مِنَ الْيَسَاءَ
مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَةَ فَإِنْ خُفْلَمْ أَلْتَعَبِ لُؤْلُؤَ
فَوَاحِدَةً أَوْ مَالَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى
الْأَنْعَوْلَاتِ

وَأَنُو الْيَسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ بِنُحْلَةٍ فَإِنْ طَبَنَ
لِكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَسْأَافَلُكُوْهُ هَيْئَا
مَرْجِعِيَّا

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَلَرَزْقًا فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

1 अरब में इस्लाम से पूर्व अनाथ बालिका का संरक्षक यदि उस के खुजूर का बाग हो तो उस पर अधिकार रखने के लिये उस से विवाह कर लेता था। और उस में उसे कोई रुचि नहीं होती थी। इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुखारी हदीस नं. 4573)

2 अर्थात् युद्ध में बंदी बनाई गई दासी।

3 अर्थात् धन, जीवन स्थापन का साधन है। इस लिये जब तक अनाथ चतुर तथा व्यस्क न हो जायें और अपने लाभ की रक्षा न कर सकें उस समय तक उन का धन उन के नियंत्रण में न दो।

उन्हें खाना, कपड़ा दो, और उन से भली बात बोलो।

6. तथा अनाथों की परीक्षा लेते रहो यहाँ तक कि वह विवाह की आयु को पहुँच जायें। तो यदि तुम उन में सुधार देखो तो उन का धन उन को समर्पित कर दो। और उसे अपव्यय तथा शीघ्रता से इस लिये न खाओ कि वह बड़े हो जायेंगे। और जो धनी हो तो वह बचे, तथा जो निर्धन हो तो वह नियमानुसार खा ले। तथा जब तुम उन का धन उन के हवाले करो तो उन पर साक्षी बना लो। और अल्लाह हिसाब लेने के लिये काफी है।
7. और पुरुषों के लिये उस में से भाग है जो माता पिता तथा समीपवर्तियों ने छोड़ा हा, तथा स्त्रियों के लिये उस में से भाग है जो माता पिता तथा समीपवर्तियों ने छोड़ा हो, वह थोड़ा हो अथवा अधिक, सब के भाग^[1] निर्धारित है।
8. और जब मीरास विभाजन के समय

وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَعْرُوفًا ۝

وَابْتَلُو الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَشْتُمُ مِنْهُمْ رُشْدًا قَادِفُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا كُلُّهُ أَسْرَافٌ وَلَا إِدَارَةٌ أَنْ يَكْبِرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِيَّا فَلَيُسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيُأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفُّوا بِاللَّهِ حِينَئِذٍ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَمْنَانِكَ الْوَالِدَيْنِ وَالآقْرَبُونَ وَلِلْإِنْسَانِ نَصِيبٌ مَمْنَانِكَ الْوَالِدَيْنِ وَالآقْرَبُونَ وَمَنْ أَقْرَبَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبُهُ مَقْرُوضًا

وَإِذَا حَضَرَ الْقُسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى

1 इस्लाम से पहले साधारणतः यह विचार था कि पुत्रियों का धन और संपत्ति की विरासत (उत्तराधिकार) में कोई भाग नहीं। इस में इस कुरीति का निवारण किया गया और यह नियम बना दिया गया कि अधिकार में पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं। यह इस्लाम ही की विशेषता है जो संसार के किसी धर्म अथवा विधान में नहीं पाई जाती। इस्लाम ही ने सर्वप्रथम नारी के साथ न्याय किया, और उसे पुरुषों के बराबर अधिकार दिया है।

समीपवर्ती^[1], तथा अनाथ और निर्धन उपस्थित हों तो उन्हें भी छोड़ा बहुत दे दो, तथा उन से भली बात बोलो।

9. और उन लोगों को डरना चाहिये, जो यदि अपने पीछे निर्बल संतान छोड़ जायें, और उन के नाश होने का भय हो, अतः उन्हें चाहिये कि अल्लाह से डरें, और सीधी बात बोलें।
10. जो लोग अनाथों का धन अत्याचार से खाते हैं वह अपने पेटों में आग भरते हैं, और शीघ्र ही नरक की अग्नि में प्रवेश करेंगे।
11. अल्लाह तुम्हारी संतान के संबंध में तुम्हें आदेश देता है कि पुत्र का भाग दो पुत्रियों के बराबर है। और यदि पुत्रियाँ दो^[2] से अधिक हों तो उन के लिये छोड़े हुये धन का दो तिहाई (भाग) है। और यदि एक ही हो तो उस के लिये आधा है। और उस के माता पिता के लिये, दोनों में से प्रत्येक के लिये उस में से छठा भाग है जो छोड़ा हो, यदि उस के कोई संतान^[3] हो। और यदि उस के कोई संतान (पुत्र या पुत्री) न हों और उस का वारिस उस का पिता हो,

وَالْيَسْمَىٰ وَالْمُسِكِينُ فَارْتَأْ قُوْهُمْ قُنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَعْرُوفًا ۝

وَلَيُخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ
ذُرْيَةٌ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلَمْ يَسْعُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
ظُلْمٌ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۝
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

يُوصِيكُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كُمْ شُحُّ
الْأَشْيَاءِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَمْ يُنْثِي
مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا التِصْفُ وَلَا يُؤْبَرُ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ كَوْنَيْنِ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أُبُوهُ فَلَأُبُوهُ
الثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ أُخْرَهُ فَلَأُخْرَهُ السُّدُسُ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٌ أَبَا ذُكْرُ وَابْنَا ذُكْرُ
لَا تَدْرُوْنَ أَيْمَهُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَلُ فِي رِضَاهُ مِنْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

1 इन से अभिप्राय वह समीपवर्ती है जिन का मीरास में निर्धारित भाग न हो। जैसे अनाथ, पौत्र तथा पौत्री आदि। (सहीह बुखारी- 4576)

2 अर्थात् केवल पुत्रियाँ हों, तो दो हों अथवा दो से अधिक हों।

3 अर्थात् न पुत्र हो और न पुत्री।

तो उस की माता का तिहाई (भाग)^[1] है, (और शेष पिता का)। फिर यदि (माता पिता के सिवा) उस के एक से अधिक भाई अथवा बहनें हों तो उस की माता के लिये छठा भाग है जो वसिय्यत^[2] तथा कर्ज़ चुकाने के पश्चात् होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिताओं और पुत्रों में से कौन तुम्हारे लिये अधिक लाभदायक है। वास्तव में अल्लाह अति बड़ा तथा गुणी, ज्ञानी तत्वज्ञ है।

12. और तुम्हारे लिये उस का आधा है जो तुम्हारी पत्नियाँ छोड़ जायें, यदि उन के कोई संतान (पुत्र या पुत्री) न हो। फिर यदि उन की कोई संतान हो तो तुम्हारे लिये उस का चौथाई है जो वह छोड़ गई हों, वसिय्यत (उत्तरदान) या ऋण चुकाने के पश्चात् और (पत्नियों) के लिये उस का चौथाई है जो (माल आदि) तुम ने छोड़ा हो, यदि तुम्हारे कोई संतान (पुत्र या पुत्री) न हो। फिर यदि तुम्हारे कोई संतान हो तो उन के लिये उस का आठवा^[3] (भाग)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُهُمْ إِنْ لَهُنْ أَهْلٌ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ كَانَ لَهُنْ وَلَدًا فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِنَ الْأَرْضِ كُلُّ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيُّنَ بِهَا أَوْ دِيْنٌ وَلَهُنَ الْزِيْغُ
وَمِنَ الْأَرْضِ كُلُّهُ إِنْ لَهُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنْ
وَلَدٌ فَلَهُنَ الشَّيْنُ وَمِنَ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَيُّنَ بِهَا أَوْ دِيْنٌ وَلَمْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثَ كُلَّهُ
أَوْ امْرَأَةً قَلَّهُ أَخٌ أَوْ أخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكٌ أَعْنَى
الشُّرُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيُّ بِهَا أَوْ دِيْنٌ عَبْرَ
مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

1 और शेष पिता का होगा। भाई, बहनों को कुछ नहीं मिलेगा।

2 वसिय्यत का अर्थ उत्तरदान है, जो एक तिहाई या उस से कम होना चाहिये परन्तु वारिस के लिये उत्तरदान नहीं है। (देखिये: त्रिमिजी- 975) पहले ऋण चुकाया जायेगा, फिर वसिय्यत पूरी की जायेगी, फिर माँ का छठा भाग दिया जायेगा।

3 यहाँ यह बात विचारणीय है कि जब इस्लाम में पुत्र पुत्री तथा नर नारी बराबर हैं, तो फिर पुत्री को पुत्र के आधा, तथा पत्नी को पति के आधा भाग क्यों

है, जो तुम ने छोड़ा है, वसिय्यत (उत्तरदान) जो तुम ने किया हो पूरा करने अथवा ऋण चुकाने के पश्चात्। और यदि किसी ऐसे पुरुष या स्त्री का वारिस होने की बात हो जो (कलाला)^[1] हो, तथा (दूसरी माता से) उस का भाई अथवा बहन हो तो उन में से प्रत्येक के लिये छठा (भाग) है। फिर यदि (माँ जाये) (भाई या बहनें) इस से अधिक हों तो वह सब तिहाई (भाग) में (बराबर के) साझी होंगे। यह सब वसिय्यत (उत्तरदान) तथा ऋण चुकाने के पश्चात् होगा। और किसी को हानि नहीं पहुँचाई जायेगी। यह अल्लाह की ओर से वसिय्यत है। और अल्लाह ज्ञानी तथा हिक्मत वाला है।

दिया गया है? इस का कारण यह है कि पुत्री जब युवती और विवाहित हो जाती है, तो उसे अपने पति से महर (विवाह उपहार) मिलता है, और उस के तथा उस की संतान के यदि हो, तो भरण पोषण का भार उस के पति पर होता है। इस के विपरीत पुत्र युवक होता है तो विवाह करने पर अपनी पत्नी को महर (विवाह उपहार) देने के साथ ही उस का तथा अपनी संतान के भरण पोषण का भार भी उसी पर होता है। इसी लिये पुत्र को पुत्री के भाग का दुगना दिया जाता है, जो न्यायोचित है।

1. कलाल: वह पुरुष अथवा स्त्री है जिस के न पिता हो और न पुत्र-पुत्री। अब इस के वारिस तीन प्रकार के हो सकते हैं:
 1. सगे भाई बहन।
 2. पिता एक तथा माताएँ अलग हों।
 3. माता एक तथा पिता अलग हों। यहाँ इसी प्रकार का आदेश वर्णित किया गया है। ऋण चुकाने के पश्चात् बिना कोई हानि पहुँचाये, यह अल्लाह की ओर से आदेश है, तथा अल्लाह अति ज्ञानी सहनशील है।

13. यह अल्लाह की (निर्धारित) सीमायें हैं, और जो अल्लाह तथा उस के रसूल का आज्ञाकारी रहेगा तो उसे ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देगा जिन में नहरें प्रवाहित होंगी। जिन में वह सदावासी होंगे। तथा यही बड़ी सफलता है।
14. और जो अल्लाह तथा उस के रसूल की अवज्ञा तथा उस की सीमाओं का उल्लंघन करेगा तो उस को नरक में प्रवेश देगा। जिस में वह सदावासी होगा। और उसी के लिये अपमान कारी यातना है।
15. तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्याभिचार कर जायें तो उन पर अपनों में से चार साक्षी लाओ। फिर यदि वह साक्ष्य (गवाही) दें तो उन्हें घरों में बन्द कर दो यहाँ तक कि उन को मौत आ जाये अथवा अल्लाह उन के लिये कोई अन्य^[1] राह बना दे।
16. और तुम में से जो दो व्यक्ति ऐसा करें तौ दोनों को दुख पहुँचाओ। यहाँ तक कि वह तौबा (क्षमा याचना) कर लें और अपना सुधार कर लें। तो उन को छोड़ दो। निश्चय अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान् है।

٢٩٣١
يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلُهُ جَنَّتِنَّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ
خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^⑤

٢٩٣٢
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْدَ حُدُودَهُ
يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُّهِمٌ^٦

٢٩٣٣
وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاجِحَةَ مِنْ شَاءَ كُثُرَ
فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَإِنْ
شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَئُوفُهُنَّ الْمُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيِّلًا^٧

٢٩٣٤
وَالَّذِينَ يَأْتِيُنَّهَا مِنْكُمْ قَاتِلُوهُمْ فَإِنْ تَأْبَ
وَأَصْلَحَاهُ فَأَغْرِضُوهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابًا
رَّحِيمًا^٨

1 यह आदेश इस्लाम के आरंभिक युग व्यभिचार का साम्यक दण्ड था इस का स्थायी दण्ड सूरह नूर आयत 2 में आ रहा है। जिस के उत्तरने पर नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: अल्लाह ने जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। उसे मुझ से सीख लो।

17. اُल्लاہ کے پاس ہنہیں کی توبہ: (کشما یا چنان) سُوکھا کار ہے، جو ان جانے مें بُرائی کر جاتے ہیں، فیر شیघر ہی کشما یا چنان کر لےتا ہے، تو اُلْلَٰهُ ہن کی توبہ: (کشما یا چنان) سُوکھا کار کر لےتا ہے، تथا اُلْلَٰهُ بड़ा جانی گزی ہے!

18. اُور ہن کی توبہ: (کشما یا چنان) سُوکھا کار्य نہیں، جو بُرائیयاؤ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہن مें سے کسی کی مौت کا سमय آ جاتا ہے، تو کہتا ہے، اب مैं نے توبہ کر لی، اُور نہیں ہن کی جو کافِر رہتے ہوئے مار جاتے ہیں، ہنہیں کے لیے ہم نے دُخُلَّدَیی یا تناہ تیار کر رکھی ہے!

19. ہے یَمَانَ وَالوَوَوَ! تُمْہارے لیے ہلال (وَدْ) نہیں ہے کہ بُلپُرْک سُوکھا کے واریس بن جاؤ! ^[۱] تथا ہنہیں اس لیے ن رُوکو کہ ہنہیں جو دیتا ہو ہس مें سے کुछ مار لے! پرانٹ یہ کہ خُلیٰ بُرائی کر جائے! تथا ہن کے ساتھ عَصِیَت ^[۲] وَبَحْرَار سے رہو! فیر یदि وہ تُمہنے اپری� لگے تو سُبُّبَو ہے کہ تُم کسی چیز کو اپری� سامنے، اُور اُلْلَٰهُ نے ہس مें

1 ہدیس مें ہے کہ جب کوई مار جاتا تو ہس کے واریس ہس کی پतنی پر بھی اधیکار کر لےتا ہے اسی کو روکنے کے لیے یہ آیت ہتھیاری (سہیہ بُوکھاری - 4579)

2 ہدیس مें ہے کہ پُورا یَمَانَ ہس مें ہے جو سُوشیل ہو! اُور بُللا وہ ہے جو اپنی پतنیयोں کے لیے بُللا ہو! (ترمیمی - 1162)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ
يَجْهَلُ الْأَثْمَرَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ
فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا

وَلَيَسْتِ الْتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الشَّيْءَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ
قَالَ إِنِّي مُتُبْتَلٌ إِلَيْنَاهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا مُوْتُونَ
وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَغْتَدْنَا لَهُمْ عَدَاءً
أَلِيمًا ^④

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ جَاءُكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
كُرْنَهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَكَّرُوا بِعَصْمِ مَا
أَتَيْتُهُمُو هُنَّ إِلَآنٌ يَأْتِيُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَ
وَعَالِمُرُو هُنَّ بِالْمُعْرُوفِ قَوْلَ كَرْهُتُهُمُو هُنَّ فَعَلَّ
أَنْ تَكْرُهُو وَآشِنَّا وَيَمْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ^⑤

बड़ी भलाई^[1] रख दी हो।

20. और यदि तुम किसी पत्नी के स्थान पर किसी दूसरी पत्नी से विवाह करना चाहो और तुम ने उन में से एक को (सोने चाँदी का) ढेर भी (महर में) दिया हो तो उस में से कुछ न लो। क्या तुम चाहते हो कि उसे आरोप लगा कर तथा खुले पाप द्वारा ले लो?

21. तथा तुम उसे ले भी कैसे सकते हो, जब कि तुम एक दूसरे से मिलन कर चुके हो। तथा उन्होंने तुम से (विवाह के समय) दृढ़ वचन लिया है।

22. और उन स्त्रियों से विवाह^[2] न करो जिन से तुम्हारे पिताओं ने विवाह किया हो, परन्तु जो पहले हो चुका।^[3] वास्तव में यह निर्लज्जा की तथा अप्रिय बात और बुरी रीति थी।

23. तुम पर^[4] हराम (अवैध) कर दी

1 अर्थात् पत्नी किसी कारण न भाये तो तुरन्त तलाक़ न दे दो बल्कि धैर्य से काम लो।

2 जैसा कि इस्लाम से पहले लोग किया करते थे। और हो सकता है कि आज भी संसार के किसी कोने में ऐसा होता हो। परन्तु यदि भोग करने से पहले बाप ने तलाक़ दे दी हो तो उस स्त्री से विवाह किया जा सकता है।

3 अर्थात् इस आदेश के आने से पहले जो कुछ हो गया अल्लाह उसे क्षमा करने वाला है।

4 दादियाँ तथा नानियाँ भी इसी में आती हैं। इसी प्रकार पुत्रियों में अपनी संतान की नीचे तक की पुत्रियाँ, और बहनों में सगी हों या पिता अथवा माता से हों,

وَلَنْ أَرْدِمَنِي بِمَكَانٍ رُوْجٌ وَالْيَمَامُ
لِحَدِّهِنَ قَطْرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بِهَنَاءٍ أَوْ أَثْمًا مُبِينًا^①

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَيْعٍ
وَلَأَخْذُنَّ مِنْكُمْ تِبَاعًا فَإِعْلَيْظَلِ^②

وَلَا تَنْكِحُوْنَا لَكُمْ أَبَا ذُرْقَمَ الْمَسَلُوْلَ الْمَاقْدُسَلَ
إِنَّهُ كَانَ فَارِحَةً وَمُقْنَّا وَسَاءَ سَيْنَاهُ^③

حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَنَّمْ وَبَشَّمْ وَأَخْوَنَّمْ وَعَنْتَلَمْ

गर्द हैं: तुम्हारी मातायें, तथा तुम्हारी पुत्रियाँ, और तुम्हारी बहनें, और तुम्हारी फूफियाँ, और तुम्हारी मौसियाँ और भतीजियाँ, और भाँजियाँ, तथा तुम्हारी वह मातायें जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, तथा दूध पीने से संबंधित बहनें, और तुम्हारी पत्नियों की मातायें, तथा तुम्हारी पत्नियों की पुत्रियाँ जिनका पालन पोषण तुम्हारी गोद में हुआ हो, जिन पत्नियों से तुम ने संभोग किया हो, और यदि उन से संभोग न किया हो तो तुम पर कोई दोष नहीं। तथा तुम्हारे सगे पुत्रों की पत्नियाँ, और यह^[1] कि तुम दो बहनों को एकत्र करो, परन्तु जो हो चुका वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

24. तथा उन स्त्रियों से (विवाह वर्जित है) जो दूसरों के निकाह में हों।

फूफियों में पिता तथा दादाओं की बहनें, और मौसियों में माताओं तथा नानियों की बहनें, तथा भतीजी और भाँजी में उनकी संतान भी आती है। हदीस में है कि दूध से वह सभी रिश्ते हराम हो जाते हैं जो गोत्र से हराम होते हैं। (सहीह बुखारी- 5099 मुस्लिम- 1444)

पत्नी की पुत्री जो दूसरे पति से हो उसी समय हराम (वर्जित) होगी जब उसकी माता से संभोग किया हो, केवल विवाह कर लेने से हराम नहीं होगी। जैसे दो बहनों को निकाह में एकत्र करना वर्जित है उसी प्रकार किसी स्त्री के साथ उसकी फूफी अथवा मौसी को भी एकत्र करना हदीस से वर्जित है। (देखिये: सहीह बुखारी-5109-सहीह मुस्लिम-1408)

1 अर्थात् जाहिलिय्यत के युग में।

وَخَلَقْنَاكُمْ وَبَيْتَ الَّهِ وَبَيْتُ الْأَخْرَى وَأَمْهَلْنَاكُمُ الْأَيَّلَةَ
أَرْضَعْنَاكُمْ وَأَخْوَنَاكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمْهَلْنَاكُمْ
نَسَالَكُمْ وَرَبَّاً يَلْكُمُ الَّتِي فِي جُنُورِكُمْ مِنْ نَسَالَكُمْ
الَّتِي دَخَلْنَاهُ بِيَوْمَ فَإِنْ أُنْتُمْ تَذَكَّرُوا دَخَلْنَاهُ بِيَوْمَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّابُ ابْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَانْجَمَعُوا بَيْنَ الْأَخْرَى إِلَيْهِمْ
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

وَالْمُحْصَنُونَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَامَكُنْ

परन्तु तुम्हारी दासियाँ^[1] जो (युद्ध में) तुम्हारे हाथ आई हों। (यह) तुम पर अल्लाह ने लिख दिया^[2] है। और इन के सिवा (स्त्रियाँ) तुम्हारे लिये हलाल (उचित) कर दी गयी हैं। (प्रतिबंध यह है कि) अपने धनों द्वारा व्यभिचार से सुरक्षित रहने के लिये विवाह करो। फिर उन में से जिस से लाभ उठाओ उन्हें उन का महर (विवाह उपहार) अवश्य चुका दो। तथा महर (विवाह उपहार) निर्धारित करने के पश्चात् (यदि) आपस की सहमति से (कोई कमी या अधिकता कर लो) तो तुम पर कोई दोष नहीं। निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है।

25. और जो व्यक्ति तुम में से स्वतंत्र ईमान वालियों से विवाह करने की सकत न रखे तो वह अपने हाथों में आई हुई अपनी ईमान वाली दासियों से (विवाह कर ले)। तथा अल्लाह तुम्हारे ईमान को अधिक जानता है। तुम आपस में एक ही हो।^[3] अतः

- 1 दासी वह स्त्री जो युद्ध में बन्दी बनाई गई हो। उस से एक बार मासिक धर्म आने के पश्चात् सम्भोग करना उचित है, और उसे मुक्त कर के उस से विवाह कर लेने का बड़ा पुण्य है। (इब्ने कसीर)
- 2 अर्थात् तुम्हारे लिये नियम बना दिया है।
- 3 तुम आपस में एक ही हो, अर्थात् मानवता में बराबर हो। ज्ञातव्य है कि इस्लाम से पहले दासिता की परम्परा पूरे विश्व में फैली हुई थी। बलवान जातियाँ निर्बलों को दास बना कर उन के साथ हिंसक व्यवहार करती थीं। कुरआन ने दासिता को केवल युद्ध के बंदियों में सीमित कर दिया। और उन्हें भी अर्थदण्ड ले कर अथवा उपकार कर के मुक्त करने की प्रेरणा दी। फिर उन के साथ अच्छे व्यवहार पर बल दिया। तथा ऐसे आदेश और नियम बना दिए किंदासिता,

إِنَّمَا يُكْرِهُنَّ بِغَيْرِ إِيمَانِهِنَّ وَأَجْلَى لِلَّهِ مَا وَرَأَهُنَّ
ذَلِكُمْ أَنَّ تَبْعَدُوا بِأَمْوَالِهِنَّ مُحْصِنِينَ عَلَيْهِنَّ
مُسْفِرِجِينَ فَمَا أَسْتَعْنُهُنَّ بِهِ مِنْهُنَّ قَاتُلُوهُنَّ
أَجْوَرَهُنَّ قِرْبَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيمَا تَرَصَّبُونَ
لِمَنْ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيقَيْنِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حِكْمَةٌ^[١]

وَمَنْ أَحْرِسَ طَرْفَهُ مِنْكُمْ طَوْلًا إِنَّمَا يَكْحَلُ الْمُحْسِنِينَ
الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ تَائِلَكُتْ إِنَّمَا لَكُمْ مِنْ فَتَيَّبِكُمْ
الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ فَإِنَّكُمْ هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَلَوْهِنَّ
أَجْوَرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْسِنِينَ غَيْرُ مُسْفِقِينَ وَلَا
مُتَعْدِدَاتِ أَخْدَانَ فِي أَدْهَانٍ فَإِنَّ أَتَيْنَ

तुम उन के स्वामियों की अनुमति से उन (दासियों) से विवाह कर लो, और उन्हें नियमानुसार उन के महरें (विवाह उपहार) चुकादो, वह सती हों, व्याभिचारिणी न हों, न गुप्त प्रेमी बना रखी हों। फिर जब वह विवाहित हो जायें तो यदि व्याभिचार कर जायें, तो उन पर उस का आधा^[1] दण्ड है, जो स्वतंत्र स्त्रियों पर है। यह (दासी से विवाह) उस के लिये है, जो तुम में से व्याभिचार से डरता हो। और सहन करो तो यह तुम्हारे लिये अधिक अच्छा है। और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

26. अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिये उजागर कर दे, तथा तुम को भी उन की नितियों की राह दर्शा दे जो तुम से पहले थे। और तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार करो। तथा अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है।

27. और अल्लाह चाहता है कि तुम पर दया करो। तथा जो लोग आकांक्षाओं के पीछे पड़े हुये हैं वह चाहते हैं कि तुम बहुत अधिक झुक^[2] जाओ।

दासिता नहीं रह गई। यहाँ इसी बात पर बल दिया गया है कि दासियों से विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं। इसलिये मानवता में सब बराबर हैं, और प्रधानता का मापदण्ड ईमान तथा सत्कर्म है।

1 अर्थात् पचास कोड़े।

2 अर्थात् सत्धर्म से कतरा जाओ।

يَعَاكِشُهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحَصَّنِينَ مِنْ
الْعَدَائِ فَذَلِكَ لِمَنْ حَسِنَ الْعَنْتَ وَمَنْ كُلَّمْ وَلَنْ تَصِرُّوا
خَيْرَكُلَّمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ^⑥

بُرِيَّةُ اللَّهِ لِبَيْنَ الْكُلُّ وَيَهُدِيَ الْمُسْتَنَّ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^⑦

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَبُرِيَّةُ الَّذِينَ
يَتَّمِعُونَ الشَّهُورَ أَنْ يَسْبِلُوْا مِئَلَّا غَطَّافَةً^⑧

28. اُلّاہ تُمْهَارا (بُوझ) هُلکا کرنا^[1]
چاہتا ہے تथا مانव نِرْبَل پیدا
کیا گیا ہے।
29. ہے ہُمَان وَالو! آپس مें एक
दूसरे का धन अवैध रूप से न
�ाओ, परन्तु यह कि: लेन देन
تُمْهَاری آپس کی س्वीकृति से
(धर्मविधानानुसार) ہو। اُور
آتُمहत्या^[2] न करो, وास्तव में
اُلّاہ تُمْهَارे لیے اُति دयावान् ہے।
30. اُور جो اُतिक्रमण तथा اُत्याचार
से ऐسا کरेगा, سमीप ہے کि: हम
उसे اُग्नि में ج़ोक देंगे, اُور یہ
اُلّاہ کे لیے سرल ہے।
31. تथा یदि تُم उन مہا پापों से
بچते رہے, جن سے تُمھें رोکا جा
رہا ہے, تو हम تُمْهَارے لیے تُمْهَارے
दोषों کो ک्षमा کर देंगे। اُور تُمھें
سम्मानित स्थान में प्रवेश देंगे।
32. تथा उس کی کامना न करो, جिस
के द्वारा اُلّاہ نے تُم को एक दूसरे
par श्रेष्ठता دی ہے। پुरुषों के لیے उस
کا भाग ہے جو یعنی نے کما�ा।^[3]

1 اُर्थاً اپنے धर्मविधान द्वारा।

2 اس کا اُर्थ یہ بھی کیا گیا ہے کि: अवैध कर्म द्वारा अपना विनाश न करो,
تथा یہ بھی کि: آپس में रक्तपात न करो, اُور یہ تینों ही اُर्थ سहی ہیں।
(तफ़्سीر کُرْتَبَّی)

3 کُرआن یعنی نے سے پहلے سंसार कا یہ سाधारण विषयापी وِिचार ہے کि: ناری
کا کوई س्थायی اُس्तित्व نہیں ہے। یعنی کہ اسے کेवल پुरुषों کی سेवा اُور کام वासना
کی پूर्ति कے لیے بنایا گیا ہے। کُرआن اس وِिचार کے وِिरुद्ध یہ کہتا ہے کि:
اُلّاہ نے مانव کो نر تथا ناری دो لिंगों में विभाजित कर दिया ہے। اُور

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخْفِي عَنْكُمْ وَخُلُقَ الْإِنْسَانِ
صَيْغَمًا^[١]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُلُوا أَمْوَالَ الْكُفَّارِ
يَا أَيُّهَا طَلِيلُ الْأَنْ تَكُونُ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا قَتْلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ
رَحِيمًا^[٢]

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًاً لَوْلَا فَوْفَقَ نُصْلِيهِ
نَارًاً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا^[٣]

إِنْ جَعَلُوكُمْ بِأَكْبَرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ لَنَهَى عَنْكُمْ سَيِّلَكُمْ
وَنَدِدِ خَلْكُمْ تُدْخَلُ كُرْبَيْنًا^[٤]

وَلَا تَتَمَّنُوا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ تَعْلَمُ بَعْضٌ
لِلرِّجَالِ تُصِيبُ مِنْهَا الْكَسِبُ وَلِلْمُسَاءِ نُصِيبُ
مِنْهَا الْكَسِبُ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

और स्त्रियों के लिए उस का भाग है जो उन्होंने कमाया है। तथा अल्लाह से उस के अधिक की प्रार्थना करते रहो, निस्देह अल्लाह सब कुछ जानता है।

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمَنَا

33. और हम ने प्रत्येक के लिये वारिस (उत्तराधिकारी) बना दिये हैं उस में से जो माता पिता तथा समीपवर्तियों ने छोड़ा हो। तथा जिन से तुम ने समझौता^[1] किया हो उन्हें उन का भाग दो। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक चीज़ से सूचित है।

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْالِيًّا وَمَاءِرِكَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرُونَ
وَالَّذِينَ عَاهَدْتَ لَهُمْ فَإِنَّمَا تُؤْتُهُمْ رِصْيَدُهُمْ لَمَّا كَانَ اللَّهُ
كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

34. पुरुष स्त्रियों के व्यवस्थापक^[2] है, इस कारण कि अल्लाह ने उन में से एक को दूसरे पर प्रधानता दी है। तथा इस कारण कि उन्होंने अपने धनों में से (उन पर) ख़र्च किया है। अतः सदाचारी स्त्रियाँ वह हैं जो आज़ाकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में अल्लाह की रक्षा में उन के अधिकारों की रक्षा

إِلَرْجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالظِّلْلَاتُ قَنْتَاحَاتٌ حِنْطُلُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَحْمِلُونَ شُورَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجِرُوهُنَّ
فِي الْمُضَارِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
كَيْرًا

दोनों ही समान रूप से अपना अपना अस्तित्व, अपने अपने कर्तव्य तथा कर्म रखते हैं। और जैसे आर्थिक कार्यालय के लिये एक लिंग की आवश्यकता है वैसे ही दूसरे की भी है। मानव के सामाजिक जीवन के लिये यह दोनों एक दूसरे के सहायक हैं।

- 1 यह संधिभ मीरास इस्लाम के आरंभिक युग में थी, जिसे (मवारीस की आयत) से निरस्त कर दिया गया। (इब्ने कसीर)
- 2 आयत का भावार्थ यह है कि परिवारिक जीवन के प्रबंध के लिये एक प्रबंधक होना आवश्यक है। और इस प्रबंध तथा व्यवस्था का भार पुरुष पर रखा गया है। जो कोई विशेषता नहीं, बल्कि एक भार है। इस का यह अर्थ नहीं कि जन्म से पुरुष की स्त्री पर कोई विशेषता है। प्रथम आयत में यह आदेश दिया गया है कि यदि पत्नी पति की अनुगामी न हो तो वह उसे समझाये। परन्तु यदि दोष पुरुष का हो तो दोनों के बीच मध्यस्थता द्वारा संधि कराने की प्रेरणा दी गयी है।

करती हों। और तुम्हें जिन की अवज्ञा का डर हो तो उन्हें समझाओ। और शयनागारों (सोने के स्थानों) में उन से अलग हो जाओ। तथा उनको मारो। फिर यदि वह तुम्हारी बात मानें तो उन पर अत्याचार का बहाना न खोजो। और अल्लाह सब से ऊपर, सब से बड़ा है।

35. और यदि तुम^[1] को दोनों के बीच वियोग का डर हो तो एक मध्यस्थ उस (पति) के घराने से तथा एक मध्यस्थ उस (पत्नी) के घराने से नियुक्त करो, यदि वह दोनों संधि कराना चाहेंगे तो अल्लाह उन दोनों^[2] के बीच संधि करा देगा। वास्तव में अल्लाह अति ज्ञानी सर्वसूचित है।

36. तथा अल्लाह की इबादत (वंदना) करो, और किसी चीज़ को उस का साझी न बनाओ। तथा माता पिता, समीपवर्तियों और अनाथों एवं निर्धनों तथा समीप और दूर के पड़ोसी, यात्रा के साथी तथा यात्री और अपने दास दासियों के साथ उपकार करो। निःसंदेह अल्लाह उस से प्रेम नहीं करता जो अभिमानी अहंकारी^[3] हो।

37. और जो स्वयं कृपण (कंजूसी) करते हैं, तथा दूसरों को भी कृपण (कंजूसी) का आदेश देते हैं, और उसे

1 इस में पति पत्नी के संरक्षकों को संबोधित किया गया है।

2 अर्थात् पति पत्नी में।

3 अर्थात् डींगें मारता तथा इतराता हो।

وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ تُرِيدُمَا
إِصْلَاحًا هُوَ فِيقُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا
حَمِيرًا ﴿٤٠﴾

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا إِشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَإِلَوَالَّذِينَ لِإِحْسَانٍ قَرِيبُوا إِنَّ الْمُتَّغْرِبِينَ
وَالْمُسْكِنِينَ وَالْجَارِ ذُو الْقُرْبَى وَالْجَارُ الْجَنْبِيُّ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنُ السَّيِّدِينَ وَمَا مَلَكَ
أَيْمَانَ الْكُفَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُوْزًا ﴿٤١﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَإِمَامُ الظَّالَمِينَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَا أَنْهَمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपनी दया से प्रदान किया है। और हम ने कत्थों के लिये अपमानकारी यातना तैयार कर रखी है।

38. तथा जो लोग अपना धन लोगों को दिखाने के लिए दान करते हैं, और अल्लाह तथा अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान नहीं रखते। तथा शैतान जिस का साथी हो, तो वह बहुत बुरा साथी^[1] है।
39. और उन का क्या बिगड़ जाता, यदि वह अल्लाह तथा अन्तिम दिन (परलोक) पर ईमान (विश्वास) रखते, और अल्लाह ने जो उन्हें दिया है उस में से दान करते? और अल्लाह उन्हें भली भाँति जानता है।
40. अल्लाह कण भर भी किसी पर अत्याचार नहीं करता, यदि कुछ भलाई (किसी ने) की हो, तो (अल्लाह) उसे अधिक कर देता है, तथा अपने पास से बड़ा प्रतिफल प्रदान करता है।
41. तो क्या दशा होगी जब हम प्रत्येक उम्मत (समुदाय) से एक साक्षी लायेंगे, और (हे नबी!) आप को

وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُونَ بِالشُّوَالِ إِلَيْهِمُ الْيَوْمُ الْآخِرُ وَمَنْ يَكُنْ
الشَّيْطَانُ لَهُ قَرْبًا فَإِنَّمَا قَرْبُنَا ۝

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَئِنْمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَنْفَقُوا مِثَارِزَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَلَيْهِمْ ۝

إِنَّ اللَّهَ لَا يُنِيبُ مِنْ عَذَابٍ ذَرَرَهُ وَإِنَّ اللَّهَ حَسَنَ
يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

فَكَيْفَ إِذَا جَنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ وَجِئُنَاهُكَ
عَلَى هُوَ الْمُشَهِّدُ ۝

1 آyat 36 से 38 तक साधारण सहानुभूति और उपकार का आदेश दिया गया है कि: अल्लाह ने जो धन धान्य तुम को दिया उस से मानव की सहायता और सेवा करो। जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान रखता हो उस का हाथ अल्लाह की राह में दान करने से कभी नहीं रुक सकता। फिर भी दान करो तो अल्लाह के लिये करो, दिखावे और नाम के लिये न करो। जो नाम के लिये दान करता है वह अल्लाह तथा आखिरत पर सच्चा ईमान (विश्वास) नहीं रखता।

उन पर साक्षी लायेंगे।^[1]

42. उस दिन जो काफिर तथा रसूल के अवैज्ञाकारी हो गये यह कामना करेंगे कि उन के सहित भूमि बराबर^[2] कर दी जाये। और वे अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे।

43. हे ईमान वालो! तुम जब नशे^[3] में रहो तो नमाज़ के समीप न जाओ। जब तक जो कुछ बोलो उसे न समझो। और न जनाबत^[4] की स्थिति में (मस्जिदों के समीप जाओ) परन्तु रास्ता पार करते हुये। और यदि तुम रोगी हो अथवा यात्रा में रहो, या स्त्रियों से सहवास कर लो, फिर जल न पाओ, तो पवित्र मिट्ठी से तयम्मुम^[5] कर लो। उसे अपने मुखों तथा हाथों पर फेर लो। वास्तव में अल्लाह अति क्षान्त (सहिष्णु) क्षमाशील है।

44. क्या आप ने उनकी दशा नहीं देखी

يَوْمَ يُبَيَّنُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَمُوا الرَّسُولُ
لَوْسُوْيِ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّونَ اللَّهَ
حَدِيْشًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَغْرِبُوا الصَّلَاةُ وَأَنْتُمْ
سُكُرٌ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبٌ
إِلَّا غَارِبٌ سَيِّلٌ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ إِحْدَى مِنْكُمْ مِنَ
الْخَلْبِ أَوْ لِمَسْلُمٍ الْيَمَاءَ فَلَمْ يَجِدُ وَامَّا
فَتَيَمَّمُوا أَصْبِعِيْدًا طَيِّبًا فَإِمْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا

الْكَفَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا الصِّيَامَ مِنَ الْكِتَابِ

1 आयत का भावार्थ यह है कि प्रलय के दिन अल्लाह प्रत्येक समुदाय के रसूल को उन के कर्म का साक्षी बनायेगा। इस प्रकार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी अपने समुदाय पर साक्षी बनायेगा। तथा सब रसूलों पर कि उन्होंने अपने पालनहार का सदेश पहुँचाया है। (इब्ने कसीर)

2 अर्थात् भूमि में धैंस जायें, और उन के ऊपर से भूमि बराबर हो जाये। या वह भी मिट्ठी हो जायें।

3 यह आदेश इस्लाम के आरंभिक युग का है जब मदिरा को वर्जित नहीं किया गया था। (इब्ने कसीर)

4 जनाबत का अर्थ वीर्यपात के कारण मलिन तथा अपवित्र होना है।

5 अर्थात् यदि जल का अभाव हो, अथवा रोग के कारण जल प्रयोग हानिकारक हो तो वुजू तथा स्नान के स्थान पर तयम्मुम कर लो।

जिन्हें पुस्तक^[1] का कुछ भाग दिया गया? वह कृपथ खरीद रहे हैं, तथा चाहते हैं कि तुम भी सुपथ से विचलित हो जाओ।

45. तथा अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं से भली भाँति अवगत् है। और (तुम्हारे लिये) अल्लाह की रक्षा काफी है। तथा अल्लाह की सहायता काफी है।
46. (हे नबी!) यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शब्दों को उन के (वास्तविक) स्थानों से फेरते हैं। और (आप से) कहते हैं कि हम ने सुन लिया, तथा (आप की) अवज्ञा की, और आप सुनिये, आप सुनाये न जायें, तथा अपनी जुबानें मोड़ कर "राइना" कहते और सत्यर्म में व्यंग करते हैं, और यदि वह "हम ने सुन लिया तथा आज्ञाकारी हो गये", और "हमें देखिये" कहते, तो उन के लिये अधिक अच्छी तथा सही बात होती। परन्तु अल्लाह ने उन के कुफ़ के कारण उन्हें धिक्कार दिया है। अतः उन में से थोड़े ही ईमान लायेंगे।
47. हे अहले किताब! उस (कुर्�আন) पर ईमान लाओ जिसे हम ने उन का प्रमाणकारी बना कर उतारा है जो (पुस्तकें) तुम्हारे साथ है। इस से पहले कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर दें।

يَشْرُونَ الصَّلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضْلُوا
السَّبِيلَ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا عَدَكُمْ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ قِيلَقًا وَكُفَىٰ
بِاللَّهِ نَصِيرًا

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكِتَابَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَأَسْمَعْنَا بِغَيْرِ مُسَمَّعٍ وَرَأَيْنَا لَيْلًا إِلَيْسَهُمْ
وَطَعَنُّا فِي الدِّينِ وَلَوْلَا إِنَّمَا قَاتَلُوكُمْ
وَأَطْعَنُّا وَأَسْمَعْنَا وَأَنْظَرْنَا لَكُمْ خَيْرًا لَهُمْ
وَأَفْوَمْ وَلَكُنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ يَكْفِرُهُمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَنْتُمُ الْكِتَابَ (مُتُّوْبِينَ) لَكُمْ
مُصَدِّقَاتُ الْمَا مَعَلَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْهِيَ
وَجُوهًا فَرَدَّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا
أَصْحَابَ السَّبِيلِ وَكَانَ أَمْرًا لَنَا مَفْعُولًا

1 अर्थात् अहले किताब की जिन को तौरात का ज्ञान दिया गया। भावार्थ यह है कि उन की दशा से शिक्षा ग्रहण करो। उन्हीं के समान सत्य से विचलित न हो जाओ।

अथवा उन्हें ऐसे ही धिक्कार^[1] दें जैसे शनिवार वालों को धिक्कार दिया। और अल्लाह का आदेश पूरा हो कर रहा।

48. निःदेह अल्लाह यह नहीं क्षमा करेगा कि उस का साझी बनाया जाये^[2], और उस के सिवा जिसे चाहे क्षमा कर देगा। और जो अल्लाह का साझी बनाता है तो उस ने महापाप गढ़ लिया।
49. क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपने आप पवित्र बन रहे हैं? बल्कि अल्लाह जिसे चाहे पवित्र करता है। और (लोगों पर) कण बराबर अत्याचार नहीं किया जायेगा।
50. देखो यह लोग कैसे अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगा रहे^[3] हैं! उन के खुले पाप के लिये यही बहुत है।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَن يُشْرِكَ يَهُ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَفْرَأَى إِلَيْهَا عَظِيمًا ⑥

أَفَتَرَأَ الَّذِينَ يُرَكِّبُونَ أَنفُسَهُمْ بِإِلَهٍ
يُرَجِّعُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُطَمِّنُونَ قُبْلًا ⑦

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَبِيرِ وَكَفَى
بِهِ إِلَهًا مُمِينًا ⑧

1 मदीने के यहूदियों का यह दुर्भाग्य था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मिलते, तो द्विअर्थक तथा संदिग्ध शब्द बोल कर दिल की भड़ास निकालते, उसी पर उन्हें यह चेतावनी दी जा रही है। शनिवार वाले, अर्थात् जिन को शनिवार के दिन शिकार से रोका गया था। और जब वे नहीं माने तो उन्हें बन्दर बना दिया गया।

2 अर्थात् पूजा, अराधना तथा अल्लाह के विशेष गुण-कर्मों में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को साझी बनाना घोर अक्षम्य पाप है, जो सत्त्वर्म के मूलाधार एकेश्वरवाद के विरुद्ध, और अल्लाह पर मिथ्या आरोप है। यहूदियों ने अपने धर्मचार्यों तथा पादरियों के विषय में यह अंधविश्वास बना लिया कि: उन की बात को धर्म समझ कर उन्हीं का अनुपालन कर रहे थे। और मल पुस्तकों को त्याग दिया था, कुर्�आन इसी को शिर्क कहता है, वह कहता है कि: सभी पाप क्षमा किये जा सकते हैं परन्तु शिर्क के लिये क्षमा नहीं, क्योंकि: इस से मूलधर्म की नींव ही हिल जाती है। और मार्गदर्शन का केन्द्र ही बदल जाता है।

3 अर्थात् अल्लाह का नियम तो यह है कि: पवित्रता, ईमान तथा सत्कर्म पर निर्भर है, और यह कहते हैं कि: यहूदिय्यत पर है।

51. हे नबी! क्या आप ने उन की दशा नहीं देखी जिन को पुस्तक का कुछ भाग दिया गया? वह मुर्तियों तथा शैतानों की इबादत (वंदना) करते हैं। और काफिरों^[1] के बारे में कहते हैं कि यह ईमान वालों से अधिक सीधी डगर पर हैं।
52. और जिसे अल्लाह धिक्कार दे तो आप उस का कदापि कोई सहायक नहीं पायेंगे।
53. क्या उन के पास राज्य का कोई भाग है, इस लिए लोगों को (उस में से) तनिक भी नहीं देंगे?
54. बल्कि वह लोगों^[2] से उस अनुग्रह पर विद्वेष कर रहे हैं जो अल्लाह ने उन को प्रदान किया है। तो हम ने (पहले भी) इब्राहीम के घराने को पुस्तक तथा हिक्मत (तत्वदर्शिता) दी है।
55. फिर उन में से कोई ईमान लाया, और कोई उस से विमुख हो गया। (तो उस के लिए) नरक की भड़कती अग्नि बहुत है।
56. वास्तव में जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफ्र (अविद्यास) किया, हम उन्हें नरक में झाँक देंगे।

أَلَّمْ ترَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نِصْبَهُ مِنَ الْكِتَابِ
يُؤْمِنُونَ بِالْجَبَرِ وَالظَّالِمَاتِ وَيَقُولُونَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُلَّا أَهْدَى مِنْ أَلَّذِينَ
أَمْوَالَهُمْ لَهُنَّ أَعْلَمُ^[1]

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْعَنْ اللَّهُ
فَلَنْ يَعْدَلَهُ نَصِيرًا^[2]

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ
النَّاسَ نَقِيرًا^[3]

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَنْتُمْ بِهِ أَعْلَمُ
مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَاكُمْ إِبْرَاهِيمَ
الْكِتَابَ وَالْحُكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا^[4]

فِيهِمْ مَنْ أَمْنَى بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَعَنَّهُ
وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا^[5]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّنَا سُوفَ تُصْلَيْرُمْ نَارًا كَلِمًا
تُضَيَّقُ جُلُودُهُمْ بَدَلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لَيْذُوقُوا

1 अर्थात् मक्का के मूर्ति के पूजारियों के बारे में मदीना के यहूदियों की यह दशा थी कि वह सदैव मुर्ति पूजा के विरोधी रहे। और उस का अपमान करते रहे। परन्तु अब मुसलमानों के विरोध में उन की प्रशंसा करते तथा कहते कि मुर्ति पूजकों का आचरण स्वभाव अधिक अच्छा है।

2 अर्थात् मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों पर कि अल्लाह ने आप को नबी बना दिया तथा मुसलमानों को ईमान दे दिया।

जब जब उन की खालें पकेंगी हम
उन की खालें दूसरी बदल देंगे, ताकि
वह यातना चखें, निःसंदेह अल्लाह
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।

57. और जो लोग ईमान लाये, तथा
सदाचार किये तो हम उन्हें ऐसे स्वर्गों
में प्रवेश देंगे जिन में नहरें प्रवाहित हैं।
जिन में वह सदावासी होंगे, उन के
लिए उन में निर्मल पत्नियाँ होंगी और
हम उन को धनी छाओं में रखेंगे।

58. अल्लाह^[1] तुम्हें आदेश देता है कि
धरोहर उन के स्वामियों को चुका
दो, और जब लोगों के बीच निर्णय
करो तो न्याय के साथ निर्णय करो।
अल्लाह तुम्हें अच्छी बात का निर्देश
दे रहा है। निःसंदेह अल्लाह सब कुछ
सुनने, देखने वाला है।

59. हे ईमान वालो! अल्लाह की आज्ञा
का अनुपालन करो, और रसूल की
आज्ञा का अनुपालन करो, तथा
अपने शासकों की आज्ञापालन करो,
फिर यदि किसी बात में तुम आपस
में विवाद (विभेद) कर लौ, तो उसे
अल्लाह और रसूल की ओर फेर दो,
यदि तुम अल्लाह तथा अन्तिम दिन
(प्रलय) पर ईमान रखते हो। यह
(तुम्हारे लिये) अच्छा^[2] और इस का

العَدَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ سَنَدِّ خَلْفُهُمْ جَبَّتْ
نَجْوَى مِنْ تَعْبُدِ الْأَنْثُرُ خَلِيلُهُ فِيهَا أَبْدَادُهُمْ
فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخَلُهُمْ ظَلَالَ طَلِيلِهَا

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذُوا الْأَمْمَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
يُعِظِّمُ بِإِيمَانِكُمْ يَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
رَسُولَهُ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ قَاتَلَ شَانِ عَنْهُمْ فِي
شَيْءٍ فَرِدَوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
شُوَمُونَ يَا لَهُ وَلِيَوْمَ الْآزِفَةِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلُكُمْ

1 यहाँ से ईमान वालों को संबोधित किया जा रहा है कि सामाजिक जीवन की
व्यवस्था के लिए मूल नियम यह है कि जिस का जो भी अधिकार हो उसे
स्वीकार किया जाये और दिया जाये। इसी प्रकार कोई भी निर्णय बिना पक्षपात
के न्याय के साथ किया जाये, किसी प्रकार कोई अन्याय नहीं होना चाहिये।

2 अर्थात् किसी के विचार और राय को मानने से। क्यों कि कुर्�আn और नबी

परिणाम अच्छा है।

60. (हे नबी!) क्या आप ने उन (द्विधावादियों) को नहीं जाना, जिन का यह दावा है कि वह जो कुछ आप पर अवतरित हुआ है तथा जो कुछ आप से पूर्व अवतरित हुआ है, उस पर ईमान रखते हैं, तथा चाहते हैं कि अपने विवाद का निर्णय विद्रोही के पास ले जायें, जब कि उन्हें आदेश दिया गया है कि उसे अस्वीकार कर दें? और शैतान चाहता है कि उन्हें सत्धर्म से बहुत दूर^[1] कर दे।

61. तथा जब उन से कहा जाता है कि उस की ओर आओ जो (कुर्�আন) अल्लाह ने उतारा है तथा रसूल की (सुन्नत की) ओर तो आप मुनाफिकों (द्विधावादियों) को देखते हैं कि वह आप से मुँह फेर रहे हैं।

62. फिर यदि उन के अपने ही कर्तृतों के कारण उन पर कोई आपदा आ पड़े, तो फिर आप के पास आकर शपथ लेते हैं कि हम ने^[2] तो केवल भलाई

أَنْتَرَاهُ إِلَى الَّذِينَ يَرْجُونَ أَنْهُمْ أَمْتَوْبَاهَا
أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذَ الْكُفَّارُ إِلَى الظَّاغُوتِ وَقَدْ أَمْرُوا أَنْ
يَكْفُرُوا بِهِ وَرُبِّيْدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ
صَلَالًا بَعِيْدًا^①

فَلَذَا قَيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
الرَّسُولِ رَأَيْتَ الشَّيْقِينَ يَصْدُدُونَ عَنْكَ
صُدُودًا^②

فَلَيْكُفَّ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ لَمَا قَدَّمُتْ
أَيْدِيهِمْ ثُرَّجَاءِ دُولَكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا
إِلَّا حَسَانًا وَتَوْفِيقًا^③

सल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत ही धर्मदिशों की शिलाधार है।

- 1 आयत का भावार्थ यह है कि जो धर्म विधान कुर्�আন तथा सुन्नत के सिवा किसी अन्य विधान से अपना निर्णय चाहते हों उन का ईमान का दावा मिथ्या है।
- 2 आयत का भावार्थ यह है कि मुनाफिक ईमान का दावा तो करते थे, परन्तु अपने विवाद चकाने के लिये इस्लाम के विरोधियों के पास जाते, फिर जब कभी उन की दो रंगी पकड़ी जाती तो नबी सल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर मिथ्या शपथ लेते। और यह कहते कि हम केवल विवाद सुलझाने के लिये उन के पास चले गये थे। (इब्ने कसीर)

तथा (दोनों पक्ष में) मेल कराना
चाहा था।

63. यही वह लोग हैं जिन के दिलों के भीतर की बातें अल्लाह जानता हैं। अतः आप उन को क्षमा कर दें, तथा उन्हें उपदेश दें, और उन से ऐसी प्रभावी बात बोलें जो उन के दिलों में उतर जाये।
64. और हम ने जो भी रसूल भेजा वह इस लिये ताकि अल्लाह की अनुमति से उस की आज्ञा का पालन किया जाये। और जब उन लोगों ने अपने ऊपर अत्याचार किया तो यदि वह आप के पास आते, फिर अल्लाह से क्षमा याचना करते, तथा उन के लिये रसूल क्षमा की प्रार्थना करते तो अल्लाह की अति क्षमाशील दयावान् पाते।
65. तो आप के पालनहार की शपथ! वह कभी ईमान वाले नहीं हो सकते, जब तक अपने आपस के विवाद में आप को निर्णयक न बनायें^[1], फिर आप जो निर्णय कर दें उस से अपने दिलों में तनिक भी संकीर्णता (तंगी) का अनुभव न करें, और पूर्णतः स्वीकार कर लैं।
66. और यदि हम उन्हें^[2] आदेश देते कि स्वयं को बध करो, तथा अपने घरों से निकल जाओ तो इन में से थोड़े के सिवा कोई ऐसा नहीं करता। और

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَغْرِضُهُمْ وَعَظَّمُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ
كَوْلًا لَيَلِعُنُّا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ
اللَّهِ وَلَوْلَا هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لِهُمُ الرَّسُولُ
لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعْكِمُوا دُفَّعِهَا
شَجَرَبَيْنِهِمْ ثُمَّ لَا يَعْدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا فِيهَا
قَضَيْتَ وَبِسْلَمْ وَأَسْلِمْ

وَلَوْا كَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ افْتُوا أَنْفَسَكُمْ أَوْ
الْخُرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ
مِنْهُمْ وَلَوْا نَهَمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانُ

1 यह आदेश आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में था। तथा आप के निधन के पश्चात अब आप की सुष्वत से निर्णय लेना है।

2 अर्थात जो दूसरों से निर्णय कराते हैं।

यदि उन्हें जो निर्देश दिया जाता है
वह उस का पालन करते तो उन के
लिये अच्छा और अधिक स्थिरता का
कारण होता।

حُبُرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَنْتِيئًا

67. और हम उन को अपने पास से बहुत बड़ा प्रतिफल देते।
68. तथा हम उन्हें सीधी डगर दर्शा देते।
69. तथा जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का अनुपालन करेंगे तो वही (स्वर्ग में) उन के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने पुरस्कार किया है, अर्थात् नवियों तथा सत्यवादियों, शहीदों और सदाचारियों के साथ। और वह क्या ही अच्छे साथी हैं?
70. यह प्रदान अल्लाह की ओर से है, और अल्लाह का ज्ञान बहुत^[1] है।
71. हे ईमान वालो! अपने (शत्रु से) बचाव के साधन तय्यार रखो, फिर गिरोहों में अथवा एक साथ निकल पड़ो।
72. और तुम में कोई ऐसा व्यक्ति^[2] भी है जो तुम से अवश्य पीछे रह जायेगा, और यदि तुम पर (युद्ध में) कोई आपदा आ पड़े तो कहेगा: अल्लाह ने मुझ पर उपकार किया कि मैं उनके साथ उपस्थित न था।
73. और यदि तुम पर अल्लाह की दया हो

وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا

وَلَهُدَى نِعْمَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الْذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِيدِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا

ذِلِّكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عِلْمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَذِّرُوكُمْ فَلَا فَرُوا بُشَّارَتْ أَوْ اغْفَرُوا جَنِيْعًا

وَلَئِنْ مِنْكُمْ لَمْ يَكُنْ لَّيْبَطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْلَكُمْ أَنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَمُؤْلَى كَانَ لَهُ

1 अर्थात् अपनी दया तथा प्रदान के योग्य को जानने के लिये।

2 यहाँ युद्ध से संबंधित अब्दुल्लाह बिन उबय्य जैसे मुनाफिकों (द्विधावादियों) की दशा का वर्णन किया जा रहा है। (इब्ने कसीर)

जाये, तो वह अवश्य यह कामना करेगा कि काश! मैं भी उन के साथ होता, तो बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता। मानो उस के और तुम्हारे मध्य कोई मित्रता ही न थी।

74. तो चाहिये कि अल्लाह की राह^[1] में वह लोग युद्ध करें जो आखिरत (परलोक) के बदले संसारिक जीवन बेच चुके हैं। और जो अल्लाह की राह में युद्ध करेगा, तो वह मारा जाये अथवा विजयी हो जाये तो हम उसे बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे।

75. और तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह की राह में युद्ध नहीं करते, जब कि कितने ही निर्बल पुरुष तथा स्त्रियाँ और बच्चे हैं, जो गुहार रहे हैं कि हे हमारे पालनहार! हमें इस नगर^[2] से निकाल दे, जिस के निवासी अत्याचारी हैं। और हमारे लिये अपनी ओर से कोई रक्षक बना दे, और हमारे लिये अपनी ओर से कोई सहायक बना दे।

76. जो लोग ईमान लाये वह अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं। और जो काफिर है वह उपद्रव के लिये युद्ध करते हैं। तो

تَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْتَئِنُ كُلُّنُّ مَعْهُمْ
فَأَفْوَزُ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿١﴾

فَلِيَقْتَلُوا إِلَيْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحُجَّةَ
الَّذِينَ يَا لِآخِرَةٍ وَمَنْ يُقْاتِلُنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيُقْتَلُ أَوْ يُغْلَبُ فَسَوْقٌ نُؤْتِيُهُ أَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا الْكُمْ لِإِنْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْإِنْسَاءِ
وَالْوُلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرُجْنَا
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُونَ أَهْلُهَا رَاجِعُنَّا
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلَيَأْتِيَنَا وَرَاجِعُنَّا مِنْ
لَدُنْكَ تَصْرِيرًا ﴿٢﴾

الَّذِينَ امْتُوا إِنْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّاغُوتِ

1 अल्लाह के धर्म को ऊँचा करने, और उस की रक्षा के लिये। किसी स्वार्थ अथवा किसी देश और संसारिक धन धान्य की प्राप्ति के लिये नहीं।

2 अर्थात् मक्का नगर से। यहाँ इस तथ्य को उजागर कर दिया गया है कि कुर्�আন ने युद्ध का आदेश इस लिये नहीं दिया है कि दसरों पर अत्याचार किया जाये। बल्कि नृशंसितों तथा निर्बलों की सहायता के लिये दिया है। इसी लिये वह बार बार कहता है कि "अल्लाह की राह में युद्ध करो" अपने स्वार्थ और मनोकांक्षाओं के लिये नहीं। न्याय तथा सत्य की स्थापना और सुरक्षा के लिये युद्ध करो।

शैतान के साथियों से युद्ध करो। निःसदेह
शैतान की चाल निर्बल होती है।

77. (हे नबी!) क्या आप ने उन की नहीं देखी, जिस से कहा गया कि अपने हाथों को (युद्ध से) रोके रखो, तथा नमाज़ की स्थापना करो और ज़कात दो? और जब उन पर युद्ध करना लिख दिया गया तो उन में से एक गिरोह लोगों से ऐसे डर रहा है जैसे अल्लाह से डर रहा हो। या उस से भी अधिक। तथा वह कहते हैं कि हे हमारे पालनहार! हम को युद्ध करने का आदेश क्यों दे दिया, क्यों न हमें थोड़े दिनों का और अवसर दिया? आप कह दें कि संसारिक सुख बहुत थोड़ा है, तथा परलोक उस के लिये अधिक अच्छा है जो अल्लाह^[1] से डरा, और उन पर कण भर भी अत्याचार नहीं किया जायेगा।

78. तुम जहाँ भी रहो, तुम्हें मौत आ पकड़ेगी, यद्यपि दृढ़ दुर्गा में क्यों न रहो। तथा उन को यदि कोई सुख पहुँचता है तो कहते हैं कि यह अल्लाह की ओर से है। और यदि कोई आपदा आ पड़े तो कहते हैं कि यह आपके कारण है। (हे नबी!) उन से कह दो कि सब अल्लाह की ओर से है। इन लोगों को क्या हो गया कि कोई बात समझने के समीप भी नहीं^[2] होते?

فَقَاتِلُوا أَوْلَيَاءَ الشَّيْطَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ
كَانَ ضَعِيفًا

أَلَمْ يَرَ إِلَى الَّذِينَ قُتِلُوا لَهُمْ كُفُّوًا أَيْدِيهِمْ
وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأُنُوِّرُكُوَّةَ فَلَمَّا كَبَّ عَلَيْهِمْ
الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يُجْحَشُونَ النَّاسَ
لَخَشِيَّةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَّةً وَقَالُوا إِنَّا مُعَذَّبُونَ
كَيْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخْرَجْنَا إِلَى الْأَجَلِ
فَرِيقٌ قُلْ مَسَاءُ الدُّنْيَا قُتِلَ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ مَّنْ
أَنْفَقَ وَلَا نَظَمَّنُ فَتِيلًا

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُ الْمَوْتُ وَلَا كُنْتُمْ
فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَلَنْ تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا
هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ
يَعْلَمُوا هَذِهِ وَمِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ
فَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَكَمَا دُونَ يَقْهُمُونَ حَدِيثًا

¹ अर्थात् परलोक का सुख उस के लिये है जिस ने अल्लाह के आदेशों का पालन किया।

2 भावार्थ यह है कि जब मुसलमानों को कोई हानि हो जाती तो मुनाफ़िक़

79. (वास्तविकता तो यह है कि) तुम को जो सुख पहुँचता है वह अल्लाह की ओर से होता है। तथा जो हानि पहुँचती है वह स्वयं (तुम्हारे कुकर्मा के) कारण होती है। और हम ने आप को सब मानव का रसूल (संदेशवाहक) बना कर भेजा^[1] है। और (आपके रसूल होने के लिये) अल्लाह का साक्ष्य बहुत है।

80. जिस ने रसूल की आज्ञा का अनुपालन किया (वास्तव में) उस ने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया है। तथा जिस ने मुँह फेर लिया तो (हे नबी!) हम ने आप को उन का प्रहरी (रक्षक) बना कर नहीं भेजा^[2] है।

81. तथा वह (आपके सामने कहते हैं कि हम आज्ञाकारी हैं, और जब आप के पास से जाते हैं तो इन में से कुछ लोग रात में आप की बात के

(द्विधावादी) तथा यहूदी कहते: यह सब नबी सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम के कारण हुआ। कुर्�আন कहता है कि सब कुछ अल्लाह की ओर से होता है। अर्थात् उस ने प्रत्येक दशा तथा परिणाम के लिए कुछ नियम बना दिये हैं। और जो कुछ भी होता है वह उन्हीं दशाओं का परिणाम होता है। अतः तुम्हारी यह बातें जो कह रहे हों, बड़ी अज्ञानता की बातें हैं।

1 इस का भावार्थ यह है कि तुम्हें जो कुछ हानि होती है तो वह तुम्हारे कुकर्मा का दुष्परिणाम होता है। इस का आरोप दूसरे पर न धरो। इस्लाम के नबी तो अल्लाह के रसूल हैं। और रसूल का काम यही है कि संदेश पहुँचा दें, और तुम्हारा कर्तव्य है कि उन के सभी आदेशों का अनुपालन करो। फिर यदि तुम अवैज्ञा करो, और उस का दुष्परिणाम सामने आये, तो दोष तुम्हारा है, न कि इस्लाम के नबी का।

2 अर्थात् आप का कर्तव्य अल्लाह का संदेश पहुँचाना है, उन के कर्मा तथा उन्हें सीधी डगर पर लगा देने का दायित्व आप पर नहीं।

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَهُنَّ الظَّوَافِرُ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَهُنْ لَفْلِيْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ رَسُولًا دُوَّارًا فِي الْأَرْضِ شَهِيدًا

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَتَى اللَّهَ بِمَمْلُوكَتِهِ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَقِيقَةً

وَيَقُولُونَ كَاتِبُهُنَّ قَاتِلُهُنَّ وَمَنْ عِنْدِكُمْ بَيْتٌ كَلِيفَةٌ وَمَنْ هُمْ غَيْرُ الَّذِينَ تَقُولُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبْيَسُونَ فَإِذَا عَرَضُ عَنْهُمْ وَتَوَلَّهُمْ عَلَى اللَّهِ وَكُفُّ

विरुद्ध परामर्श करते हैं। और वह जो परामर्श कर रहे हैं उसे अल्लाह लिख रहा है। अतः आप उन पर ध्यान न दें। और अल्लाह पर भरोसा करें, तथा अल्लाह पर भरोसा काफी है।

بِاللَّهِ وَكَفِيلٌ

82. तो क्या वह कुर्झान (के अर्थों) पर सोच विचार नहीं करते? यदि वह अल्लाह के सिवा दूसरे की ओर से होता तो उस में बहुत सी प्रतिकूल (बे मेल) बातें पाते? [1]
83. और जब उन के पास शान्ति या भय की कोई सूचना आती है तो उसे फैला देते हैं। और यदि वह उसे अल्लाह के रसूल तथा अपने अधिकारियों की और फेर देते तो जो बात की तह तक पहुँचते हैं वे उस की वास्तविकता जान लेते। और यदि तुम पर अल्लाह की अनुकम्पा तथा दया न होती तो तुम में थोड़े के सिवा सब शैतान के पीछे लग [2] जाते।
84. तो (हे नबी!) आप अल्लाह की राह में युद्ध करें। केवल आप पर यह भार डाला जा रहा है, तथा ईमान वालों को (इस की) प्रेरणा दें। संभव है कि अल्लाह काफिरों का बल (तोड़ दे)। और अल्लाह का बल और उस का दण्ड सब से कड़ा है।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عَنْدِنِي عَنْهُ
إِنَّهُ لَوَجَدُوا فِيهِ أُخْتِلَافًا كَثِيرًا

وَإِذَا حَاجَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَكْثَنِ أَوْ الْخُوفِ أَذَا غُوايْبٌ
وَلَوْزَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَلَلَّا أُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْهُمْ
لَعْلَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مُمْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ لَا يَعْلَمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَنِيلًا

فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَفَّرُ إِلَّا نَفْسَكَ
وَحَرِضَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِنَّمَّا يَنْكِفَ بَارِسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَارِسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

1 अर्थात् जो व्यक्ति कुर्झान में विचार करेगा, उस पर यह तथ्य खुल जायेगा कि कुर्झान अल्लाह की वाणी है।

2 इस आयत द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा है कि जब भी साधारण शान्ति या भय की कोई सूचना मिले तो उसे अधिकारियों तथा शासकों तक पहुँचा दिया जाये।

85. जो अच्छी अनुशंसा (सिफारिश) करेगा उसे उस का भाग (प्रतिफल) मिलेगा। तथा जो बुरी अनुशंसा (सिफारिश) करेगा तो उसे भी उस का भाग (कुफल)^[1] मिलेगा। और अल्लाह प्रत्येक चीज़ का निरीक्षक है।
86. और जब तुम से सलाम किया जाये, तो उस से अच्छा उत्तर दो, अथवा उसी को दुहरा दो। निःसंदेह अल्लाह प्रत्येक विषय का हिसाब लेने वाला है।
87. अल्लाह के सिवा कोई बंदनीय (पूज्य) नहीं, वह अवश्य तुम्हें प्रलय के दिन एकत्र करेगा, इस में कोई संदेह नहीं। तथा बात कहने में अल्लाह से अधिक सच्चा कौन हो सकता है?
88. तुम्हें क्या हुआ है कि मुनाफिकों (द्विधावादियों) के बारे में दो पक्ष^[2] बन गये हो। जब कि अल्लाह ने उन के कुकर्मा के कारण उन्हें औंधा कर दिया है। क्या तुम उसे सुपथ दर्शा देना चाहते हो जिसे अल्लाह ने कुपथ कर दिया हो? और जिसे अल्लाह कुपथ

مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ أَصْبَابٌ مِنْهَا
وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كُفَّلٌ مِنْهَا وَكَانَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّبِينٌ

وَلَذِكْرِهِمْ بِتَحْيَيْهِ فَهُبُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا
أَوْرُدُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

إِنَّهُ لَآللَّهُ إِلَّا هُوَ الْجَمِيعُ عَلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ
لَرَبِّ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ بِأَنَّهَا

فِيمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فَلَئِنْ يَنْهَا
بِمَا كَسَبُوا أَتْرَبُدُونَ أَنْ تَهْدُوا مِنْ أَضَلَّ
إِنَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَأُنْ يَجْهَدَ لَهُ سَيِّئَاتُكُلِّ

1 आयत का भावार्थ यह है कि अच्छाई तथा बुराई में किसी की सहायता करने का भी पुण्य और पाप मिलता है।

2 मक्का वासियों में कुछ अपने स्वार्थ के लिये मौखिक मुसलमान हो गये थे, और जब युद्ध आरंभ हुआ तो उन के बारे में मुसलमानों में दो विचार हो गये। कुछ उन्हें अपना मित्र और कुछ उन्हें अपना शत्रु समझ रहे थे। अल्लाह ने यहाँ बता दिया कि वह लोग मुनाफिक (द्विधावादी) हैं। जब तक मक्का से हिजरत कर के मदीना में न आ जायें, और शत्रु ही के साथ रह जायें, तो उन्हें भी शत्रु समझा जायेगा। यह वह मुनाफिक नहीं हैं जिन की चर्चा पहले की गयी है। यह मक्का के विशेष मुनाफिक हैं, जिन से युद्ध की स्थिति में कोई मित्रता की जा सकती थी, और न ही उन से कोई संबंध रखा जा सकता था।

कर दे तो तुम उस के लिये कोई राह
नहीं पा सकते।

89. (हे ईमान वालो !) वे तो यह कामना
करते हैं कि उन्हीं के समान तुम
भी काफिर हो जाओ, तथा उन के
बराबर हो जाओ। अतः उन में से
किसी को मित्र न बनाओ, जब तक
अल्लाह की राह में हिजरत न करें।
और यदि वह इस से विमुख हों तो
उन्हें जहाँ पाओ बध करो और उन
में से किसी को मित्र न बनाओ, और
न सहायक बनाओ।

90. परन्तु इन में से जो किसी कौम
से जा मिले जिन के और तुम्हारे
बीच संधि हो, अथवा ऐसे लोग हों
जो तुम्हारे पास इस स्थिति में आयें
कि उन के दिल इस से संकुचित
हो रहे हों कि वह तुम से युद्ध करें,
अथवा (तुम्हारे साथ) अपनी जाति
से युद्ध करें और यदि अल्लाह चाहता
तो उन को तुम पर सामर्थ्य दे देता,
फिर वह तुम से युद्ध करते, तो यदि
वह तुम से बिलग रह गये और तुम
से युद्ध नहीं किया, और तुम से संधि
कर ली, तो उन के विरुद्ध अल्लाह ने
तुम्हारे लिये कोई (युद्ध करने की)
राह नहीं बनाई^[1] है।

91. तथा तुम को कुछ ऐसे दूसरे लोग भी

وَذُو الْكُفَّارُونَ كَمَا كَفَرُوا فَلَمَّا تُؤْتُونَ سَوَاءً
فَلَا تَنْهَى وَمَنْ هُمْ أَفْلَيْأَمْ حَتَّى يَهْجُرُوا فِي
سَيِّئِ الْحَالِ فَإِنْ تَوْلُوا فَخُذُوهُمْ
حَيْثُ وَجَدُوكُمْ وَلَا تَنْهَى وَمَنْ هُمْ وَلَيْأَ
وَلَا نَصِيرُ إِلَيْأَمْ

إِلَّا الَّذِينَ يَعْصِيُونَ إِلَى قَوْمَهُمْ يُنَاهَى
مِنْ ثَاقِبِ أَوْ جَاءَهُ وَكُوْحَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ
يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقْاتِلُوكُمْ قَوْمُهُمْ وَلَا شَاءَ اللَّهُ
لَسْطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوكُمْ فَإِنْ أَعْزَلُوكُمْ فَلَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوَّالِيَّكُمُ الشَّكَمْ فَمَا جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَيِّئِالا

سَيَّدُونَ الْخَرِبِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمُنُوكُمْ

1 अर्थात् इस्लाम में युद्ध का आदेश उन के विरुद्ध दिया गया है जो इस्लाम के
विरुद्ध युद्ध कर रहे हों। अन्यथा उन से युद्ध करने का कोई कारण नहीं रह जाता
क्यों कि मूल चीज़ शान्ति तथा संधि है, युद्ध और हत्या नहीं।

मिलेंगे जो तुम्हारी ओर से भी शान्त रहना चाहते हैं, और अपनी जाति की ओर से भी शान्त रहना (चाहते हैं)। फिर जब भी उपद्रव की ओर फेर दिये जायें, तो उस में औधे हो कर गिर जाते हैं। तो यदि वह तुम से बिलग न रहें और तुम से संधि न करें, तथा अपना हाथ न रोकें तो उन्हें पकड़ो, और जहाँ पाओ बध करो। हम ने उन के विरुद्ध तुम्हारे लिये खुला तर्क बना दिया है।

92. किसी ईमान वाले के लिये वैध नहीं है कि वह किसी ईमान वाले की हत्या कर दे, परन्तु चूक^[1] से। तथा जो किसी ईमान वाले की चूक से हत्या कर दे तो उसे एक ईमान वाला दास मुक्त करना है, और उस के घर वालों को दियत (अर्थदण्ड)^[2] दे, परन्तु यह कि वह दान (क्षमा) कर दें। फिर यदि वह (निहत) उस जाति में से हो जो तुम्हारी शत्रु है,

1 अर्थात् निशाना चूक कर उसे लग जाये।

2 यह अर्थदण्ड सौ ऊँट अथवा उन का मूल्य है। आयत का भावार्थ यह है कि जिन की हत्या करने का आदेश दिया गया है वह केवल इस लिये दिया गया है कि उन्होंने ने इस्लाम तथा मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया है। अन्यथा यदि युद्ध की स्थिति न हो तो हत्या एक महापाप है। और किसी मुसलमान के लिये कदापि यह वैध नहीं कि किसी मुसलमान की, या जिस से समझौता हो, उस की जान बूझ कर हत्या कर दो। संधि मित्र से अभिप्राय वह सभी गैर मुस्लिम हैं जिन से मुसलमानों का युद्ध न हो, संधि तथा सविदा हो। फिर यदि चूक से किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उस का यह आदेश है जो इस आयत में बताया गया है। यह ज्ञातव्य है कि कुर्�आन ने केवल दो ही स्थिति में हत्या को उचित किया है: युद्ध की स्थिति में, अथवा नियमानुसार किसी अपराधी की हत्या की जाये। जैसे हत्यारे को हत्या के बदले हत किया जाये।

وَيَا مُنَّا قُومٌ هُنْ كَلَّا مَارِدُوا إِلَى الْفَسْنَةِ أَرْكَسُوا
فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِ لَوْكُمْ وَيُلْقَوْا إِلَيْكُمْ
السَّلَامُ وَيُلْقَوْا إِلَيْكُمْ يَهُمْ فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ شَفِقْتُمُوهُمْ وَأَوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا
لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٦﴾

وَمَا كَانَ لِيُؤْمِنُ أَنْ يَقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَنْ قَاتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَبْقَةِ مُؤْمِنٍ وَرَدِيَةٌ مُّسْلِمَةٌ إِنَّ
أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ يَضْرَبُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّهُمْ
وَهُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَبْقَةِ مُؤْمِنٍ وَلَئِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَاهُ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَأَنْ قَرِيبَةٌ مُّسْلِمَةٌ إِنَّ أَهْلَهُ وَغَيْرُهُ
رَقِيبَةٌ مُّؤْمِنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرٍ
مُّتَكَبِّرُونَ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ

और वह (निहत) ईमान वाला है तो एक ईमान वाला दास मुक्त करना है। और यदि ऐसी कौम से हो जिस के और तुम्हारे बीच संधि है तो उस के घर वालों को अर्धदण्ड देना, तथा एक ईमान वाला दास (भी) मुक्त करना है, और जो दास न पाये तो उसे निरंतर दो महीने रोज़ा रखना है। अल्लाह की ओर से (उस के पाप की) यही क्षमा है। और अल्लाह अति ज्ञानी तत्त्वज्ञ है।

93. और जो किसी ईमान वाले की हत्या जान बूझ कर कर दे तो उस का कुफल (बदला) नरक है। जिस में वह सदाचारी होगा, और उस पर अल्लाह का प्रकोप तथा धिक्कार है। और उस ने उस के लिये घोर यातना तैयार कर रखी है।

94. हे ईमान वालो! जब तुम अल्लाह की राह में (जिहाद के लिये) निकलो तो भली भाँति परख^[1] लो, और कोई तुम को सलाम^[2] करे तो यह न कहो कि तुम ईमान वाले नहीं हो। क्या तुम संसारिक जीवन का उपकरण चाहते हो? और अल्लाह के पास बहुत से परिहार (शत्रुघ्न) हैं। तुम भी पहले ऐसे^[3] ही थे, तो अल्लाह ने तुम

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَحِمًّا فَإِنَّهُ كُفَّارٌ مَا فِيهَا
وَغَضِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ
۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَرَأْتُمْ حُكُمَّ رَبِّكُمْ فِي سَيِّئِاتِهِ
فَتَبَيَّنُوا وَلَا تُقْسِطُوا إِلَيْهِنَّ إِنَّمَا الظُّلْمُ كُلُّ مُؤْمِنٍ
بَتَتَّغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَوْنَدَ اللَّهُ مَعَالِمَ
كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كَثُرُمُ مَنْ قَبْلَهُمْ فَمَنْ أَنْهَا اللَّهُ عَنِّيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
۝

1 अर्थात् यह कि वह शत्रु हैं या मित्र हैं।

2 सलाम करना मुसलमान होने का एक लक्षण है।

3 अर्थात् इस्लाम के शब्द के सिवा तुम्हारे पास इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था। इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हु कहते हैं कि रात के समय एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था। जब उस से कुछ मुसलमान मिले तो उस ने अस्सलामु अलैकुम कहा।

पर उपकार किया। अतः भली भाँति
परख लिया करो, निःसंदेह अल्लाह
उस से सूचित है जो तुम कर रहे हो।

95. ईमान वालों में जो अकारण अपने
घरों में रह जाते हैं, और जो अल्लाह
की राह में अपने धनों और प्राणों के
द्वारा जिहाद करते हैं, दोनों बराबर
नहीं हो सकते। अल्लाह ने उन को जो
अपने धनों तथा प्राणों के द्वारा जिहाद
करते हैं, उन पर जो घरों में रह
जाते हैं, पद में प्रधानता दी है। और
प्रत्येक को अल्लाह ने भलाई का वचन
दिया है। और अल्लाह ने जिहाद करने
वालों को उन पर जो घरों में बैठे
रह जाने वाले हैं, बड़े प्रतिफल में भी
प्रधानता दी है।

96. अल्लाह की ओर से कई (उच्च) श्रेणियाँ
हैं तथा क्षमा और दया है। और अल्लाह
अति क्षमाशील दयावान् है।

97. निःसंदेह वह लोग जिन के प्राण
फ़रिश्ते निकालते हैं, इस दशा में
कि वह अपने ऊपर (कुफ़ के देश में
रह कर) अत्याचार करने वाले हों,
तो उन से कहते हैं: तुम किस चीज़
में थे? वह कहते हैं कि हम धरती में
विवश थे। तब फ़रिश्ते कहते हैं: क्या
अल्लाह की धरती विस्तृत नहीं थी कि

फिर भी एक मुसलमान ने उसे झूठा समझ कर मार दिया। इसी पर यह आयत
उतरी। जब नबी سल्लल्लहु अलैहि व सल्लम को इस का पता चला तो आप
बहुत नाराज़ हुये। (इन्हे कसीर)

لَا يَنْتَهُ الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَهْرُبُ إِلَيَّ الظَّرَفُ
وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَيِّئِ الْأَيَّامِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
الْقَعْدِيْنَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَلَّ
اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقَعْدِيْنَ أَجْرًا عَظِيمًا ⑤

دَرَجَتْ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ⑥

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلِكَةُ فَالْأَلْيَى
أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فَيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا إِنَّا
مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ
أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَهَلْ جُرُوا فِيهَا فَقَاتَلُوكُمْ
مَا أُنْهُمْ جَهَنَّمُ وَسَادَتْ مَصِيرًا ⑦

उस में हिज्रत कर^[1] जाते? तो इन्हीं
का आवास नरक है। और वह क्या
ही बुरा स्थान है!

98. परन्तु जो पुरुष और स्त्रियाँ तथा
बच्चे ऐसे विवश हों कि कोई उपाय
न रख सकें, और न (हिज्रत की)
कोई राह पाते हों।
99. तो आशा है कि अल्लाह उन को क्षमा
कर देगा। निःदेह अल्लाह अति ज्ञान्त
क्षमाशील है।
100. तथा जो कोई अल्लाह की राह में
हिज्रत करेगा तो वह धरती में
बहुत से निवास स्थान तथा विस्तार
पायेगा। और जो अपने घर से
अल्लाह और उस के रसूल की ओर
निकल गया, फिर उसे (राह में
ही) मौत ने पकड़ लिया तो उस का
प्रतिफल अल्लाह के पास निश्चित हो

1) जब सत्य के विरोधियों के अत्याचार से विवश हो कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व
सल्लम मदीने हिज्रत (प्रस्थान) कर गये, तो अरब में दो प्रकार के देश हो गये।
मदीना दारूल हिज्रत (प्रवास गृह) था। जिस में मुसलमान हिज्रत कर के एकत्र
हो गये। तथा दारूल हर्ब। अर्थात् वह क्षेत्र जो शत्रुओं के नियंत्रण में था। और
जिस का केन्द्र मक्का था। यहाँ जो मुसलमान थे वह अपनी आस्था तथा धार्मिक
कर्म से बंचित थे। उन्हें शत्रु का अत्याचार सहना पड़ता था। इस लिये उन्हें यह
आदेश दिया गया था कि मदीने हिज्रत कर जायें। और यदि वह शक्ति रखते
हुये हिज्रत नहीं करेंगे तो अपने इस आलस्य के लिए उत्तर दायी होंगे। इस
के पश्चात् आगामी आयत में उन की चर्चा की जा रही है जो हिज्रत करने से
विवश थे। मक्का से मदीना हिजरत करने का यह आदेश मक्का की विजय सन्
8 हिज्री के पश्चात् निरस्त कर दिया गया। इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु कहते
हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में कुछ मुसलमान काफिरों की
संख्या बढ़ाने के लिये उन के साथ हो जाते थे। और तीर या तलवार लगने से
मारे जाते थे, उन्हीं के बारे में यह आयत उत्तरी। (सहीह बुखारी, 4596)

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الْرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْأُلْدَانَ لَا يُسْتَطِعُونَ حِينَهُ وَلَا
يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا

وَمَنْ يُهَا جِرْفُ سَبِيلِ اللَّهِ يَعِذُّ فِي
الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً مُؤْمَنْ
يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لَمْ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرَهُ عَلَى
اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا رَّحِيمًا

गया। और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

101. और जब तुम धरती में यात्रा करो तो नमाज़^[1] कस्र (संक्षिप्त) करने में तुम पर कोई दोष नहीं, यदि तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सतायेंगे। बास्तव में काफिर तुम्हारे खुले शत्रु हैं।
102. तथा (हे नबी!) जब आप (रणक्षेत्र में) उपस्थित हों, और उन के लिये नमाज़ की स्थापना करें तो उन का एक गिरोह आप के साथ खड़ा हो जाये, और अपने अस्त्र शस्त्र लिये रहे। और जब वह सज्दा कर लें, तो तुम्हारे पीछे हो जायें, तथा दूसरा गिरोह आये जिस ने नमाज़ नहीं पढ़ी है, और आप के साथ नमाज़ पढ़े। और अपने अस्त्र शस्त्र लिये रहें। काफिर चाहते हैं कि तुम अपने शस्त्रों से निश्चेत हो जाओ तो तुम पर यकायक धावा बोल दें। और तुम पर कोई दोष नहीं, यदि वर्षा के कारण तुम्हें दुख हो अथवा तुम रोगी रहो कि अपने शस्त्र^[2] उतार दो। तथा अपने बचाव का

وَإِذَا أَصْرَبْتُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ وَمِنَ الْعُلُوَّةِ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ
يُفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفَّارِ مِنْ كَانُوا
لَكُمْ عَدُوٌّ أَمْ بِيْتًا ①

وَإِذَا كُنْتَ فِي هُجُونٍ فَاقْبِطْ لَهُمُ الْعُلُوَّةَ فَلَنْقُمْ
طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَاخْذُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيَكُلُّوْا مِنْ وَرَاءِكُمْ مُولَّاتٍ
طَائِفَةً أُخْرَى لَمْ يُصْلُوْا لَمْ يُصْلُوْا مَعَكَ
وَلْيَاخْذُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ وَدَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ تَعْفَلُوْنَ عَنْ أَسْلَحَتِكُمْ
وَأَمْبَغَيْتُمُ فِي بَيْلَوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ
وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ يَكُوْنُ أَذْيَ قِنْ مَطْرِ
أُوكَنْتُمُ مَرْضِيَّ أَنْ تَصْبِعُوا أَسْلَحَتَكُمْ وَخُذُوا
حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَى لِلْكُفَّارِ عَدَا بَأْمُوهِنَا ②

1 कस्र का अर्थ चार रकअत वाली नमाज़ को दो रकअत पढ़ना है। यह अनुमति प्रत्येक यात्रा के लिये है शत्रु का भय हो, या न हो।

2 इस का नाम (सलातुल खौफ) अर्थात् भय के समय की नमाज़ है। जब रणक्षेत्र में प्रत्येक समय भय लगा रहे, तो उस की विधि यह है कि सेना के दो भाग कर लें। एक भाग को नमाज़ पढ़ायें, तथा दूसरा शत्रु के सम्मख खड़ा रहे, फिर दूसरा आये और नमाज़ पढ़े। इस प्रकार प्रत्येक गिरोह की एक रकअत और इमाम की दो रकअत होंगी। हृदीसों में इस की और भी विधियाँ आई हैं। और यह युद्ध की स्थितियों पर निर्भर है।

ध्यान रखो। निःसंदेह अल्लाह ने काफिरों के लिये अपमान कारी यातना तय्यार कर रखी है।

103. फिर जब तुम नमाज़ पूरी कर लो, तो खड़े, बैठे, लेटे प्रत्येक स्थिति में अल्लाह का स्मरण करो। और जब तुम शान्त हो जाओ तो पूरी नमाज़ पढ़ो। निःसंदेह नमाज़ ईमान वालों पर निर्धारित समय पर अनिवार्य की गई है।
104. तथा तुम (शत्रु) जाति का पीछा करने में शिथिल न बनो, यदि तुम्हें दुःख पहुँचा है, तो तुम्हारे समान उन्हें भी दुःख पहुँचा है। तथा तुम अल्लाह से जो आशा^[1] रखते हो, वह आशा वह नहीं रखते। तथा अल्लाह अति ज्ञानी तत्त्वज्ञ है।
105. (हे नबी!) हम ने आप की ओर इस पुस्तक (कुर्�आन) को सत्य के साथ उतारा है, ताकि आप लोगों के बीच उस के अनुसार निर्णय करें, जो अल्लाह ने आप को बताया है, और विद्वास घातियों के पक्षधर न^[2] बनें।

1 अर्थात् प्रतिफल तथा सहायता और समर्थन की।

2 यहाँ से अर्थात् आयत 105 से 113 तक, के विषय में भाष्यकारों ने लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक अन्सारी की कवच (ज़िरह) चुरा ली। और जब देखा कि उस का भेद खुल जायेगा तो उस का आरोप एक यहूदी पर लगा दिया। और उस के कबीले के लोग भी उस के पक्षधर हो गये। और नबी सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम के पास आये, और कहा कि आप इसे निर्दोष घोषित कर दें। और उन की बातों के कारण समीप था कि आप उसे निर्दोष घोषित कर के यहूदी को अपराधी बना देते कि आप को सावधान करने के लिये यह आयतें उतरी। (इब्ने जरीर) इन आयतों का साधारण भावार्थ यह है कि मुसलमान न्यायधीश को चाहिये कि किसी पक्ष

فِإِذَا أَقْصَيْتُمُ الصلوٰةَ فَإِذْ كُرُوا اللَّهَ قِيمًا
وَقَعُودًا وَعَلٰى جُنُوبٍ كُلُّمٌ فِإِذَا أَطْهَانُتُمْ
فَأَقْصَيْتُمُ الصلوٰةَ إِنَّ الصلوٰةَ كَانَتْ عَلٰى^١
الْمُؤْمِنِينَ كَشْبًا مَوْقُوتًا^٢

وَلَا يَهُنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا
نَّاسٌ مُّؤْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ كَمَا أَنَّمُؤْمِنَ
وَرَجُونَ مِنَ الْكُوْمَاتِ الْأَيْرُجُونَ وَكَانَ اللَّهُ
عَلَيْهِمَا حِكْمَةٌ^٣

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْعِنْيَ لِتَكُلُّمُ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَنْزَلَكَ اللَّهُ وَلَا يَنْهَى لِلْخَائِنِينَ حَقِيقَمَا^٤

106. तथा अल्लाह से क्षमा याचना करते रहें, निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

107. और उन का पक्ष न लें, जो स्वयं अपने साथ विश्वासघात करते हों, निःसंदेह अल्लाह विश्वासघाती, पापी से प्रेम नहीं करता।^[1]

108. वह (अपने करतूत) लोगों से छुपा सकते हैं। तथा अल्लाह से नहीं छुपा सकते। और वह उन के साथ होता है, जब वह रात में उस बात का परामर्श करते हैं, जिस से वह प्रसन्न नहीं^[2] होता। तथा अल्लाह उसे घेरे हुये हैं जो वह कर रहे हैं।

109. सुनो! तूम्हीं वह हो कि संसारिक जीवन में उन की ओर से झगड़ लियो तो प्रलय के दिन उन की ओर से कौन अल्लाह से झगड़ेगा, और कौन उन का अभिभाषक (प्रतिनिधि) होगा?

110. जो व्यक्ति कोई कुकर्म करेगा, अथवा अपने ऊपर अत्याचार करेगा, और फिर अल्लाह से क्षमा याचना करेगा, तो वह उसे अति क्षमी दयावान् पाएगा।

का इस लिये पक्षपात न करे कि वह मुसलमान है और दूसरा मुसलमान नहीं है, बल्कि उसे हर हाल में निष्पक्ष हो कर न्याय करना चाहिए।

1 आयत का भावार्थ यह है कि न्यायधीश को ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, जिस में किसी का पक्षपात हो।

2 आयत का भावार्थ यह है कि मुसलमानों को अपना सहधर्मी अथवा अपनी जाति या परिवार का होने के कारण किसी अपराधी का पक्षपात नहीं करना चाहिये। क्योंकि संसार न जाने, परन्तु अल्लाह तो जानता है कि कौन अपराधी है, कौन नहीं।

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

وَلَا يَجِدُونَ عَنِ الَّذِينَ يَعْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَّاً إِلَيْهِمَا

يَسْتَخْفُونَ مِنَ الْمَأْسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ
اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يَبْيَسُونَ مَا لَدُّهُ فِي
الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

هَلْ كُنْتُ هُوَ لَهُ جَادَ لِمَ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فَمَنْ يَجْلِدُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
اللَّهَ يَعْدِلُ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا

111. और जो व्यक्ति कोई पाप करता है तो अपने ऊपर करता^[1] है। तथा अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है।
112. और जो व्यक्ति कोई चूक अथवा पाप स्वयं करे, और फिर किसी निर्दोष पर उस का आरोप लगा दे तो उस ने मिथ्या दोषारोपण तथा खुले पाप का^[2] बोझ अपने ऊपर लाद लिया।
113. और (हे नबी!) यदि आप पर अल्लाह की दया तथा कृपा न होती तो उन के एक गिरोह ने संकल्प ले लिया था कि आप को कुपथ कर दें, और वह स्वयं को ही कुपथ कर^[3] रहे थे। तथा वह आप को कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। क्यों कि अल्लाह ने आप पर पुस्तक (कुर्�आन) तथा हिक्मत (सुन्नत) उतारी है। और आप को उस का ज्ञान दे दिया है जिसे आप नहीं जानते थे। तथा यह आप पर अल्लाह की बड़ी दया है।
114. उन के अधिकांश सरगोशी में कोई भलाई नहीं होती, परन्तु जो दान अथवा सदाचार या लोगों में सुधार कराने का आदेश दे। और जो कोई ऐसे कर्म अल्लाह की प्रसन्नता के

وَمَنْ يَكْسِبْ إِلَّا مَا كَانَ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةً^①

وَمَنْ يَكْسِبْ خَلْقَتْ
فَقَدِ احْمَلَ بُهْنَانًا وَإِلَّا مُؤْمِنًا^②

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَهُمْ
كَلِيفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْكُ وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا
أَنْفَسُهُمْ وَمَا يَصْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَكَ
كُلُّ نَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا^③

لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوِيلِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ
بِصَادَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ اصْلَامَ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً مَوْضَاتِ اللَّهِ
فَسَوْفَ تُؤْتَيْهُ أَجْرًا عَظِيمًا^④

1 भावार्थ यह है कि जो अपराध करता है उस के अपराध का दुष्परिणाम उसी के ऊपर है। अतः तुम यह न सोचो कि अपराधी के अपने सहधर्मी अथवा संबंधी होने के कारण, उस का अपराध सिद्ध हो गया, तो हम पर भी धब्बा लग जायेगा।

2 अर्थात् स्वयं पाप कर के दूसरे पर आरोप लगाना दुहरा पाप है।

3 कि आप निर्दोष को अपराधी समझ लें।

लिये करेगा तो हम उसे बहुत भारी प्रतिफल प्रदान करेंगे।

115. तथा जो व्यक्ति अपने ऊपर मार्गदर्शन उजागर हो जाने के^[1] पश्चात् रसूल का विरोध करे, और ईमान वालों की राह के सिवा (दूसरी राह) का अनुसरण करे तो हम उसे वहीं फेर^[2] देंगे जिधर फिरा है। और उसे नरक में झाँक देंगे तथा वह बुरा निवास स्थान है।

116. निःसंदेह अल्लाह इसे क्षमा^[3] नहीं करेगा कि उस का साझी बनाया जाये, और इस के सिवा जिसे चाहेगा क्षमा कर देगा। तथा जो अल्लाह का साझी बनाता है वह कुपथ में बहुत दूर चला गया।

117. वह (मिश्रणवादी) अल्लाह के सिवा देवियों को ही पुकारते हैं। और धिक्कारे हुये शैतान को पुकारते हैं।

118. अल्लाह ने जिसे धिक्कार दिया है। और उस (शैतान) ने कहा था कि मैं तेरे भक्तों से एक निश्चित भाग ले कर रहूँगा।

119. और उन्हें अवश्य बहकाऊँगा, तथा

- 1 ईमान वालों से अभिप्राय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा (साथी) हैं।
 2 विद्वानों ने लिखा है कि यह आयत भी उसी मुनाफ़िक से संबंधित है। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस के विरुद्ध दण्ड का निर्णय कर दिया तो वह भाग कर मक्का के मिश्रणवादियों से मिल गया। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)। फिर भी इस आयत का आदेश साधारण है।
 3 अर्थात् शिर्क (मिश्रणवाद) अक्षम्य पाप है।

وَمَنْ يُشَارِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
 لَهُ الْهُدُى وَيَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ
 نُولِهِ مَا تَوَلَّ وَنَصِيلُهُ جَهَنَّمُ وَسَادَتْ
 مَصِيرًا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشَرِّكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا
 دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشَرِّكُ بِاللَّهِ فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثَاءً وَلَنْ
 يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا

لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنْجَذَنَ مِنْ عِبَادِكَ
 نَصِيبًا مَفْرُوضًا

وَلَا فِلَنْهُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَلَا مِنْهُمْ

कामनायें दिलाऊँगा, और आदेश दूँगा कि वह पशुओं के कान चीर दें। तथा उन्हें आदेश दूँगा, तो वे अवश्य अल्लाह की संरचना में परिवर्तन^[1] कर देंगे। तथा जो शैतान को अल्लाह के सिवा सहायक बनायेगा तो वह खुली क्षति में पड़ गया।

120. वह उन को वचन देता, तथा कामनाओं में उलझाता है। और उन को जो वचन देता है वह धोखे के सिवा कुछ नहीं है।
121. उन्हीं का निवास स्थान नरक है और वह उस से भागने की कोई राह नहीं पायेंगे।
122. तथा जो लोग ईमान लाये, और सत्कर्म किये, हम उन को ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देंगे जिन में नहरें प्रवाहित होंगी। वे उस में सदावासी होंगे। यह अल्लाह का सत्य वचन है। और अल्लाह से अधिक सत्य कथन किस का हो सकता है?
123. (यह प्रतिफल) तुम्हारी कामनाओं तथा अहले किताब की कामनाओं पर निर्भर नहीं। जो कोई भी दुष्कर्म करेगा तो वह उस का कुफल पायेगा, तथा अल्लाह के सिवा अपना कोई रक्षक और सहायक नहीं पायेगा।

فَلَيَبْتَكِنَ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَهُمْ
فَلَيَعْتَرُّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَخَذِ الْشَّيْطَنَ
وَلَيَأْمُرَ مَنْ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَرَّ حَرَّاً مُبْيَناً

يَعِدُهُمْ وَمُهِمَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ
إِلَّا غُرُورًا

أُولَئِكَ مَا ذُرُّهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا
مَجِيدًا

وَالَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتَنَّ بَجْرِي مِنْ تَعْرِيْهَا الْأَنْهَارُ
خَلِيلِيْنَ فِيهَا آبَدًا وَعَذَّ اللَّهُ حَقَّاً وَمَنْ
أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِبْلًا

لَيْسَ بِأَمَانٍ تَكُونُ وَلَا أَمَانٌ أَهْلُ الْكِتَابُ
مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى هُ وَلَا يَعْدُ لَهُ مِنْ
دُونَ اللَّهِ وَلَيَأْمُرَ وَلَا يَنْصِرُ

¹ इस के बहुत से अर्थ हो सकते हैं, जैसे गोदना, गुदवाना, स्त्री का पुरुष का आचरण और स्वभाव बनाना, इसी प्रकार पुरुष का स्त्री का आचरण, तथा रूप धारण करना आदि।

124. तथा जो सत्कर्म करेगा, वह नर हो अथवा नारी, और ईमान भी^[1] रखता होगा, तो वही लोग स्वर्ग में प्रवेश पायेंगे, और तनिक भी अत्याचार नहीं किये जायेंगे।
125. तथा उस व्यक्ति से अच्छा किस का धर्म हो सकता है जिस ने स्वयं को अल्लाह के लिये झुका दिया, और वह एकेब्रवादी भी हो। और एकेब्रवादी इब्राहीम के धर्म का अनुसरण कर रहा हो? और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना विशुद्ध मित्र बना लिया।
126. तथा अल्लाह ही का है, जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, और अल्लाह प्रत्येक चीज़ को अपने नियंत्रण में लिये हुये है।
127. (हे नबी!) वह स्त्रियों के बारे में आप से धर्मदिश पूछ रहे हैं। आप कह दें कि अल्लाह उन के बारे में तुम्हें आदेश देता है, और वह आदेश भी है जो इस से पूर्व पुस्तक (कुर्�आन) में तुम्हें उन अनाथ स्त्रियों के बारे में सुनाये गये हैं, जिन के निर्धारित अधिकार तुम नहीं देते,

1 اर्थात् सत्कर्म का प्रतिफल सत्य आस्था और ईमान पर आधारित है कि अल्लाह तथा उस के सब नबियों पर ईमान लाया जाये। तथा हदीसों से विद्वित होता है कि एक बार मुसलमानों और अहले किताब के बीच विवाद हो गया। यहूदियों ने कहा कि हमारा धर्म सब से अच्छा है। मुकित केवल हमारे ही धर्म में है। मुसलमानों ने कहा: हमारा धर्म सब से अच्छा तथा अंतिम धर्म है। उसी पर यह आयत उतरी। (इब्ने जरीर)

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الظَّلَمِ هُنَّ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فِي أُولَئِكَ يَدْخُلُونَ جَنَّةَ وَلَا
يُظْلَمُونَ نَفِيرًا

وَمَنْ أَحْسَنَ دُبَيْنَا مِنْ أَسْلَامَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَأَنْهَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَعْلِيمًا

وَيَسْقِطُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُعَزِّيْكُ
فِيهِنَّ وَمَا يُشَلِّ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَّى
النِّسَاءُ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِفُينَ
مِنَ الْوَلَدَانِ وَأَنْ تَقْوِمُوا بِالْمُتَّهِي بِالْقِسْطِ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

और उन से विवाह करने की रुचि रखते हो, तथा उन बच्चों के बारे में भी जो निर्बल हैं। तथा (यह भी आदेश देता है कि) अनाथों के लिये न्याय पर स्थित रहो^[1]। तथा तुम जो भी भलाई करते हो अल्लाह उसे भली भाँति जानता है।

128. और यदि किसी स्त्री को अपने पति से दुर्व्यवहार अथवा विमुख होने की शंका हो, तो उन दोनों पर कोई दोष नहीं कि आपस में कोई संधि कर लें, और संधि कर लेना ही अच्छा^[2] है। और लोभ तो सभी में होता है। और यदि तुम एक दूसरे के साथ उपकार करो और (अल्लाह से) डरते रहो तो निःसंदेह तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उस से सूचित है।

129. और यदि तुम अपनी पत्नियों के बीच न्याय करना चाहो, तो भी ऐसा कदापि नहीं कर^[3] सकोगे। अतः एक ही की ओर पूर्णतः झुक^[4]

وَإِنْ امْرَأٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُرًا أَوْ
إِغْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَابِيَّهَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ حَيْثُ وَأَحْسَرَتِ الْأَنْفُسُ
الشُّرُّمْ وَإِنْ تُحِسِّنُوا وَتَنْقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ حَيْثُ^[5]

وَلَئِنْ تَسْتَطِعُو أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ
خَرَضْتُمْ فَلَا تَبْيِنُوا كُلُّ الْمُبْلِلِ فَتَذَرُّوْهَا
كَالْمُعْلَقَةِ وَلَئِنْ تُصْلِحُوهُوَ وَتَنْقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

1 इस्लाम से पहले यदि अनाथ स्त्री सुन्दर होती तो उस का संरक्षक यदि उस का विवाह उस से हो सकता हो, तो उस से विवाह कर लेता परन्तु उसे महर (विवाह उपहार) नहीं देता। और यदि सुन्दर न हो तो दूसरे से उसे विवाह नहीं करने देता था। ताकि उस का धन उसी के पास रह जाये। इसी प्रकार अनाथ बच्चों के साथ भी अत्याचार और अन्याय किया जाता था, जिन से रोकने के लिये यह आयत उतरी। (इब्ने कसीर)

2 अर्थ यह है कि स्त्री, पुरुष की इच्छा और रुचि पर ध्यान दे। तो यह संधि की रीति अलगाव से अच्छी है।

3 क्यों कि यह स्वभाविक है कि मन का आकर्षण किसी एक की ओर होगा।

4 अर्थात् जिस में उसके पति की रुचि न हो, और न व्यवहारिक रूप से बिना

न जाओ, और (शेष को) बीच में
लटकी हुई न छोड़ दो। और यदि
(अपने व्यवहार में) सुधार^[1] रखो
और अल्लाह से डरते रहो तो
निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील
दयावान् है।

غَفُورٌ أَرْجِيْمًا ④

130. और यदि दोनों अलग हो जायें तो
अल्लाह प्रत्येक को अपनी दया से
(दूसरे से) निश्चिंत^[2] कर देगा। और
अल्लाह बड़ा उदार तत्वज्ञ है।

وَلَنْ يَتَفَرَّقَا إِذْنُ اللَّهِ كُلَّمَنْ سَعَيْهِ وَكَانَ
اللَّهُ وَإِسْعَادُهُ كَيْبِيْنَا ④

131. तथा अल्लाह ही का है, जो आकाशों
तथा धरती में है। और हम ने तुम
से पूर्व अहले किताब को तथा तुम
को आदेश दिया है कि अल्लाह से
डरते रहो। और यदि तुम कुफ़
(अवैज्ञा) करोगे तो निस्संदेह जो
कुछ आकाशों तथा धरती में है,
वह अल्लाह ही का है। तथा अल्लाह
निस्पृह^[3] प्रशांसित है।

وَلَهُ مَلَكُ السَّمَاوَاتِ وَمَلَكُ الْأَرْضِ وَلَقَدْ
وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِذَا كُلُّ
أَنْفُقُ اللَّهَ مَوْلَانْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَلْهُ مَلَكُ
السَّمَاوَاتِ وَمَلَكُ الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَنِّيْنَا
حَمِيدًا ④

132. तथा अल्लाह ही का है जो आकाशों
तथा धरती में है। और अल्लाह काम
बनाने के लिये बस है।

وَلَهُ مَلَكُ السَّمَاوَاتِ وَمَلَكُ الْأَرْضِ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلًا ④

133. और वह चाहे तो, हे लोगो! तुम्हें
ले जाये^[4] और तुम्हारे स्थान पर

إِنْ يَشَاءُ يَدْهِبُكُمْ إِلَيْهَا الْئَاسُ وَرَيْبُ

पति के हो।

1 अर्थात् सब के साथ व्यवहार तथा सहवास संबंध में बराबरी करो।

2 अर्थात् यदि निभाव न हो सके तो विवाह बंधन में रहना आवश्यक नहीं। दोनों
अलग हों जायें, अल्लाह दोनों के लिये पति तथा पत्नी की व्यवस्था बना देगा।

3 अर्थात् उस की अवैज्ञा से तुम्हारा ही बिगड़ेगा।

4 अर्थात् तुम्हारी अवैज्ञा के कारण तुम्हें ध्वस्त कर दे। और दूसरे आज्ञाकारियों

दूसरों को ला दे तथा अल्लाह ऐसा कर सकता है।

134. जो संसारिक प्रतिकार (बदला) चाहता हो तो अल्लाह के पास संसार तथा परलोक दोनों का प्रतिकार (बदला) है। तथा अल्लाह सब की बात सुनता और सब के कर्म देख रहा है।
135. हे ईमान वालो! न्याय के साथ खड़े रह कर अल्लाह के लिये साक्षी (गवाह) बन जाओ। यद्यपि साक्ष्य (गवाही) तुम्हारे अपने अथवा माता पिता और समीपवर्तियों के विरुद्ध हो, यदि कोई धनी अथवा निर्धन हो तो अल्लाह तुम से अधिक उन दोनों का हितैषी है। अतः अपनी मनोकांक्षा के लिये न्याय से न फिरो। और यदि तुम बात घुमा फिरा कर करोगे, अथवा साक्ष्य देने से कतराओगे, तो निःसंदेह अल्लाह उस से सूचित है जो तुम करते हो।
136. हे ईमान वालो! अल्लाह तथा उस के रसूल, और उस पुस्तक (कुर्�आन) पर जो उस ने अपने रसूल पर उतारी है, तथा उन पुस्तकों पर जो इस से पहले उतारी हैं, ईमान लाओ। और जो अल्लाह तथा उस के फ़रिश्तों, उस की पुस्तकों और अन्त दिवस (प्रलय) को अस्वीकार करेगा, तो वह कुपथ में बहुत दूर जा पड़ा।
137. निःसंदेह जो ईमान लाये, फिर को पैदा कर दे।

رِيَاحِرِّينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذِلِّكَ قَدِيرًا ﴿١٨٥﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ
ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿١٨٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ نُؤْمِنُ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ أُولَئِكُمْ وَلَا عَلَى النَّفِسِكُمْ أَوْلَادُ الَّذِينَ
وَالْأَقْرَبُونَ إِنْ يَكُنْ فِيهَا أُوْفَيْرًا فَإِنَّهُ أَوْلَى
بِهِمَا شَفَاعَاتٍ يَبْعُدُ الْهَوَى إِنْ تَعْبُدُ لِلَّهِ وَلَا إِنْ تَنْهُوا
أَوْ تُعْرُضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرًا ﴿١٨٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي نَزَّلْنَا عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلْنَا مِنْ
قَبْلِهِ وَمَنْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ وَمَلِكُهُ وَكُنْتُهُ وَرَسُولُهُ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَقَدْ ضَلَّ صَلَّاكَ بَعِيدًا ﴿١٨٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا أَنْهُمْ آمَنُوا بِهِمْ لَكُفُّارُهُمْ

काफिर हो गये, फिर ईमान लाये,
फिर काफिर हो गये, फिर कुफ में
बढ़ते ही चले गये तो अल्लाह उन्हें
कदापि क्षमा नहीं करेगा और न
उन्हें सीधी डगर दिखायेगा।

إِذَا دُرِّجُوا فَلَمْ يَكُنُ الَّذِينَ لَيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ
سَيِّئَاتُهُمْ

138. (हे नबी!) आप मुनाफिकों (द्विधावादियों) को शुभ सूचना सुना दें कि उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है।
139. जो ईमान वालों को छोड़ कर, काफिरों को अपना सहायक मित्र बनाते हैं, क्या वह उन के पास मान सम्मान चाहते हैं? तो निःसदैह सब मान सम्मान अल्लाह ही के लिये^[1] है।
140. और उस (अल्लाह) ने तुम्हारे लिए अपनी पुस्तक (कुर्�आन) में यह आदेश उतार^[2] दिया है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों को अस्वीकार किया जा रहा है, तथा उन का उपहास किया जा रहा है, तो उन के साथ न बेठो, यहाँ तक कि वह दूसरी बात में लग जायें। निःसदैह तुम उस समय उन्हीं के समान हो जाओगे। निश्चय अल्लाह मुनाफिकों (द्विधावादियों) तथा काफिरों सब को नरक में एकत्र करने वाला है।
141. जो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहा करते हैं, यदि तुम्हें अल्लाह की सहायता से विजय प्राप्त हो, तो कहते हैं: क्या

بَتَّرَ الْمُنْفِقِينَ إِنَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا

إِلَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكُفَّارِ إِنَّمَا مِنْ دُولَتِ
الْمُؤْمِنِينَ مَا يَتَعَوَّنُ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ
يَلِهِ حِلْيَعًا

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَيْتَ
الَّتِي كُلِّمَ بِهَا وَيَسِّرْتُهُمْ أَبْهَا فَلَا تَنْقُضُوا مَا مَعَهُمْ
حَتَّى يَمْكُرُوا فِي حَدِيبِيَّةٍ غَيْرِهِمْ إِنَّمَا إِذَا
مَثَلُهُمْ مِنَ الْأَنْوَارِ إِنَّمَا جَاءَكُمُ الْمُنْفِقِينَ
وَالْكُفَّارِ إِنَّمَا فِي جَهَنَّمَ حِلْيَعًا

إِلَّذِينَ يَرْبِضُونَ يَكُونُ فِي أَنْ كَانَ لِكُلِّ فَحْشَتِ
الَّتِي قَاتَلُوا أَلَّفَنْكُنْ مَعَكُمْ وَلَنْ كَانَ لِلْكُفَّارِ

1 अर्थात् अल्लाह के अधिकार में है, काफिरों के नहीं।

2 अर्थात् सूरह अन्आम आयत नम्बर 68 में।

हम तुम्हारे साथ न थे? और यदि उन (काफिरों) का पल्ला भारी रहे, तो कहते हैं कि क्या हम तुम पर छा नहीं गये थे, और तुम्हें ईमान वालों से बचा रहे थे? तो अल्लाह ही प्रलय के दिन तुम्हारे बीच निर्णय करेगा। और अल्लाह काफिरों के लिये ईमान वालों पर कदापि कोई राह नहीं बनायेगा। [1]

142. वास्तव में मुनाफ़िक़ (द्विधावादी) अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, जब कि: वही उन्हें धोखे में डाल रहा^[2] है, और जब वह नमाज़ के लिये खड़े होते हैं, तो आलसी होकर खड़े होते हैं, वह लोगों को दिखाते हैं, और अल्लाह का स्मरण थोड़ा ही करते हैं।

143. वह इस के बीच द्विधा में पड़े हुये हैं, न इधर न उधर। तथा जिसे अल्लाह कुपथ कर दे, तो आप उस के लिये कोई राह नहीं पा सकेंगे।

144. हे ईमान वालो! ईमान वालों को

1 अर्थात् द्विधावादी काफिरों की कितनी ही सहायता करें, उन की ईमान वालों पर स्थायी विजय नहीं होगी। यहाँ से द्विधावादियों के आचरण और स्वभाव की चर्चा की जा रही है।

2 अर्थात् उन्हें अवसर दे रहा है, जिसे वह अपनी सफलता समझते हैं। آयत 139 से यहाँ तक मुनाफ़िक़ों के कर्म और आचरण से संबंधित जो बातें बताई गई हैं वह चार हैं:

1- वह मुसलमानों की सफलता पर विश्वास नहीं रखते।

2- मुसलमानों को सफलता मिले तो उनके साथ हो जाते हैं, और काफिरों को मिले तो उन के साथ।

3- नमाज़ मन से नहीं बल्कि केवल दिखाने के लिये पढ़ते हैं।

4- वह ईमान और कुफ़्र के बीच द्विधा में रहते हैं।

بَصِيرٌ قَالُوا أَلْهُمْ نَسْأَلُكُمْ عَلَيْكُمْ وَسَنَعْلَمُ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا كُلُّ مُؤْمِنٍ يَعْمَلُ
يَعْلَمُ اللَّهُ لِلْكُفَّارِ إِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سِرِيلًا

إِنَّ الظَّافِقِينَ يُغْلِيُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَالِدٌ عَهْدُهُ
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَاسِلِيْرَاءُونَ
النَّاسُ وَلَا يَدْرِيْنَ كُلَّ ذِيْرَنَ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا

مُذَبَّدِيْنَ بَيْنَ ذِلَّكَ هَلَّا هَلَّا وَلَا إِلَّا
هَلَّا هَلَّا وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ سِرِيلًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْتُوْلَاتْ تَخْدُوْنَ الْكُفَّارِ

छोड़ कर काफिरों को सहायक मित्र
न बनाओ। क्या तुम अपने विरुद्ध
अल्लाह के लिये खुला तर्क बनाना
चाहते हो?

145. निश्चय मुनाफ़िक़ (द्विधावादी) नरक
की सब से नीची श्रेणी में होंगे। और
आप उन का कोई सहायक नहीं
पायेंगे।

146. परन्तु जिन्होंने क्षमा याचना कर
ली, तथा अपना सुधार कर लिया,
और अल्लाह को सुदृढ़ पकड़ लिया,
तथा अपने धर्म को विशुद्ध कर
लिया, तो वह लोग ईमान वालों के
साथ होंगे। और अल्लाह ईमान वालों
को बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान करेगा।

147. अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें
यातना दे, यदि तुम कृतज्ञ रहो,
तथा ईमान रखो। और अल्लाह^[1]
बड़ा गुणग्राही अति ज्ञानी है।

148. अल्लाह को अपशब्द (बुरी बात) की
चर्चा नहीं भाती, परन्तु जिस पर
अत्याचार किया गया^[2] हो। और
अल्लाह सब सुनता और जानता है।

149. यदि तुम कोई भली बात खुल कर

أَولِيَاءُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتَرْبَدُونَ أَنْ
جَعَلُوا لِي وَلِكُمْ سُلْطَانًا مُهِمَّةً^①

إِنَّ الْمُنْفَعِينَ فِي الدُّرُجَاتِ الْأَسْنَلِ مِنَ النَّارِ
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا^②

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ بِلَهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
وَسُوقَ يُوْبِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا^③

مَا يَقْعُلُ اللَّهُ بَعْدَ إِلَيْهِ إِنْ شَكَرْتُ
وَامْشَكْرُ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْهِما^④

لَا يُعِبُّ اللَّهُ الْجَهَرُ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا
مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَيِّعًا عَلَيْهِما^⑤

إِنْ تُبْدِوا خَيْرًا وَلَا عَغْفُوهُ أَوْ تَعْفُرُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ

1 इस आयत में यह संकेत है कि अल्लाह, कुफल और सुफल मानव कर्म के परिणाम स्वरूप देता है। जो उसके निर्धारित किये हुये नियम का परिणाम होता है। जिस प्रकार संसार की प्रत्येक चीज़ का एक प्रभाव होता है, ऐसे ही मानव के प्रत्येक कर्म का भी एक प्रभाव होता है।

2 आयत में कहा गया है कि किसी व्यक्ति में कोई बुराई हो तो उस की चर्चा न करते फिरो। परन्तु उत्पीड़ित व्यक्ति अत्याचारी के अत्याचार की चर्चा कर सकता है।

करो अथवा उसे गुप्त करो या
किसी बुराई को क्षमा कर दो,
तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमी सर्व
शक्तिशाली है।

اللَّهُ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا

150. जो लोग अल्लाह और उस के रसूलों के साथ कुफ़ (अविश्वास) करते हैं, और चाहते हैं कि अल्लाह तथा उस के रसूलों के बीच अन्तर करें, तथा कहते हैं कि हम कुछ पर ईमान रखते हैं, तथा कुछ के साथ कुफ़ करते हैं, और इस के बीच राह^[1] बनाना चाहते हैं।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُقْرِبُونَ نُوْمَنْ بِعَيْضٍ وَيُنَكِّفُرُ بِعَيْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُخْنِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَيِّلًا

151. वही शुद्ध काफिर हैं, और हम ने काफिरों के लिये अपमानकारी यातना तय्यार कर रखी है।

أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ حَقًا وَاعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ عَدَابًا مُهِمَّا

152. तथा जो लोग अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाये, और उन में से किसी के बीच अंतर नहीं किया, तो उन्हीं को हम उन का प्रतिफल प्रदान करेंगे, तथा अल्लाह अति क्षमाशील दयावान् है।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ قَمِّنْمُ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتَنُوكُمْ أَجُورُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

153. हे नबी! आप से अहले किताब माँग करते हैं कि आप उन पर आकाश से कोई पुस्तक उतार दें, तो इन्होंने मसा से इस से भी बड़ी माँग की थी। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह को प्रत्यक्ष^[2] दिखा दो, तो इन के

يَسِّلَكَ أَهْلُ الْكِتَابَ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى الْكَبُرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهَرًا فَأَخَدَنَا تِهْمُ الصُّبْعَةَ يُظْلِمُهُمْ ثُمَّ أَخَدْنَا وَالْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَا تِهْمُ الْبَيْتِ فَعَقَنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى

1 नबी سल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम की हदीस है कि सब नबी भाई हैं उन के बाप एक और मायें अलग-अलग हैं। सब का धर्म एक है, और हमारे बीच कोई नबी नहीं है। (सहीह बुखारी - 3443)

2 अर्थात् आँखों से दिखा दो।

अत्याचारों के कारण इन्हें विजली ने धर लिया, फिर इन्होंने खुली निशानियाँ आने के पश्चात् बछड़े को पूज्य बना लिया, फिर हम ने इसे भी क्षमा कर दिया, और हम ने मूसा को खुला प्रभुत्व प्रदान किया।

154. और हम ने (उन से वचन लेने के लिये) उन के ऊपर तूर (पर्वत) उठा दिया, तथा हम ने उन से कहा: द्वार में सज्दा करते हुये प्रवेश करो, तथा हम ने उन से कहा कि शनिवार^[1] के विषय में अति न करो। और हम ने उन से दृढ़ वचन लिया।
155. तो उन के अपना वचन भंग करने, तथा उन के अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़ करने, और उन के नवियों को अवैध बध करने, तथा उन के यह कहने के कारण कि हमारे दिल बंद हैं (ऐसी बात नहीं है) बल्कि अल्लाह ने उन के दिलों पर मुहर लगा दी है। अतः इन में से थोड़े ही ईमान लायेंगे।
156. तथा उन के कुफ़ और मर्यम पर घोर आरोप लगाने के कारण।

157. तथा उन के (गर्व से) कहने के कारण कि हम ने अल्लाह के रसूल, मर्यम के पुत्रः ईसा मसीह को बध कर दिया, जब कि (वास्तव में) उसे बध नहीं किया। और न सलीब (फाँसी) दी, परन्तु उन के

سُلْطَنًا مُبِينًا^①

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الظُّورَ بِيُنَيْنَا قَوْمٌ وَقُلْنَا لَهُمْ
اَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اَوْ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي
السَّبُّتِ وَأَحَدُنَا مِنْهُمْ مُبِينًا فَاغْلِطُوا^②

فِيمَا نَعَصْنَاهُ مُبِينًا قَوْمٌ وَكُفَّارُهُمْ بِإِيمَانِ اللَّهِ
وَقُلْنَاهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حِجْنٍ وَقُولِيهِمْ قُلْنَاهُمْ
بِئْلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرٍ هُنْ قَلَّا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلُهُمْ^③

وَيَكْفِرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرِيعَهِمْ كَاعْظِمَمَا^④

وَقُولِيهِمْ اَنَا قَاتَلْنَا الْمَسِيحَ عَيْنَى اَبِنَ مَرْيَمَ رَسُولَ
اللَّهِ وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا اصْلَبُوهُ وَلَكِنْ شَيْهَ لَهُمْ رَبُّ
الَّذِينَ احْتَلَفُوا فِيهِ لَقَنِ شَيْهَ مِنْهُمْ مَا لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَعُ الْكُلُّنَّ وَمَا قَاتَلُوهُ يُبَيِّنُونَ^⑤

1 देखिये: सूरह बकरह आयत- 65।

लिये (इसे) संदिग्ध कर दिया गया। और निःसंदेह जिन लोगों ने इस में विभेद किया वह भी शंका में पड़े हुये हैं। और उन्हें इस का कोई ज्ञान नहीं, केवल अनुमान के पीछे पड़े हुये हैं। और निश्चय उसे उन्होंने बध नहीं किया है।

158. बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी ओर (आकाश) में उठा लिया है, तथा अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।
159. और सभी अहले किताब उस (ईसा) के मरण से पहले उस पर अवश्य ईमान^[1] लायेंगे, और प्रलय के दिन वह उन के विरुद्ध साक्षी^[2] होगा।
160. यहूदियों के (इन्हीं) अत्याचार के कारण हम ने उन पर स्वच्छ खाद्य पदार्थों को हराम (वर्जित) कर दिया जो उन के लिये हलाल (वैध) थे। तथा उन के बहुधा अल्लाह की राह से रोकने के कारण।
161. तथा उन के व्याज लेने के कारण जब कि उन्हें उस से रोका गया था, और उन के लोगों का धन अवैध रूप से खाने के कारण, तथा

بِلْ رَقْعَةُ اللَّهِ أَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ⑥

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ⑦

فِيظُلُّمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَبِيبَتِ
أُحْلَقْتُ لَهُمْ وَيَصْدِّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ⑧

وَأَخْذِي هُرُبًا وَأَقْدُنُهُ لِعَنْهُ وَأَكْلِمُ أَمْوَالَ
الَّذِينَ يَالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ⑨

1 अर्थात् प्रलय के समीप ईसा अलैहिस्साम के आकाश से उतरने पर उस समय के सभी अहले किताब उन पर ईमान लायेंगे, और वह उस समय मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुयायी होंगे। सलीब तोड़ देंगे, और सूअरों को मार डालेंगे, तथा इस्लाम के नियमानुसार निर्णय और शासन करेंगे। (सहीह बुखारी- 2222, 3449, मुस्लिम- 155, 156)

2 अर्थात् ईसा अलैहिस्सलाम प्रलय के दिन ईसाइयों के बारे में साक्षी होंगे। (देखिये: सूरह माइदा, आयत 117)

हम ने उन में से काफिरों के लिये
दुःखदायी यातना तय्यार कर रखी है।

162. परन्तु जो उन में से ज्ञान में पक्के हैं, तथा वह ईमान वाले जो आप की ओर उतारी गयी (पुस्तक कुर्�आन) तथा आप से पूर्व उतारी गयी (पुस्तक) पर ईमान रखते हैं, और जो नमाज़ की स्थापना करने वाले, तथा ज़कात देने वाले, और अल्लाह तथा अन्तिम दिन पर ईमान रखने वाले हैं, उन्होंने को हम बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे।
163. (हे नबी!) हम ने आप की ओर वैसे ही वही भेजी है, जैसे नूह और उस के पश्चात् के नवियों के पास भेजी, और इब्राहीम तथा इस्माईल और इस्हाक तथा याकूब और उस की संतान, तथा ईसा और अय्युब, तथा यूनुस और हारून तथा सुलैमान के पास वही भेजी, और हम ने दावूद को ज़बूर प्रदान [1] की थी।
164. कुछ रसूल तो ऐसे हैं जिन की चर्चा हम इस से पहले आप से कर चुके हैं। और कुछ की चर्चा आप से नहीं की है, और अल्लाह ने मूसा से वास्तव में बात की।

1 वही का अर्थ: संकेत करना, दिल में कोई बात डाल देना, गुप्त रूप से कोई बात कहना तथा सदैश भेजना है। हारिस रजियल्लाहु अन्हु ने प्रश्न किया: अल्लाह के रसूल आप पर वही कैसे आती है? आप ने कहा: कभी निरन्तर घंटी की ध्वनि जैसे आती है जो मेरे लिये बहुत भारी होती है। और यह दशा दूर होने पर मुझे सब बात याद रहती है। और कभी फरिश्ता मनुष्य के रूप में आकर मुझ से बात करता है तो मैं उसे याद कर लेता हूँ। (सहीह बुखारी - 2, मुस्लिम- 2333)

لِكُنَ الظَّمِنُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا يَأْنِزُلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَالْمُقْرِئُونَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ الرَّحْمَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِكَ سُنُوتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَآلِيَّهِينَ
مِنْ أَبْعَدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى
وَأَيُّوبَ وَنُوحُ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتِّيَّنَا
دَارِدَ نَذُورًا ۖ

وَرَسُلًا فَدَقَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرُسُلًا
لَمْ نَقْصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ۖ وَكَلَمَ اللَّهُ مُؤْسِى
تَكْلِيفًا ۖ

165. यह सभी रसूल शुभ सूचना सुनाने वाले और डराने वाले थे, ताकि इन रसूलों के (आगमन के) पश्चात् लोगों के लिये अल्लाह पर कोई तर्क न रह^[1] जाये। और अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है।
166. (हे नबी!) (आप को यहूदी आदि नबी न मानें) परन्तु अल्लाह उस (कुर्�आन) के द्वारा जिसे आप पर उतारा है, साक्ष्य (गवाही) देता है कि (आप नबी हैं)। उस ने इसे अपने ज्ञान के साथ उतारा है, तथा फरिश्ते साक्ष्य देते हैं, और अल्लाह का साक्ष्य ही बहुत है।
167. वास्तव में जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह^[2] से रोका वह सुपथ से बहुत दूर जा पड़े।
168. निःसंदेह जो काफिर हो गये, और अत्याचार करते रह गये, तो अल्लाह ऐसा नहीं है कि उन्हें क्षमा कर दे, तथा न उन्हें कोई राह दिखायेगा।
169. परन्तु नरक की राह, जिस में वह सदावासी होंगे, और यह अल्लाह के लिये सरल है।
170. हे लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से रसूल सत्य

رُسُلًا مُبَشِّرُونَ وَمُنذِّرُونَ إِلَّا لِيَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ④

لِكِنَّ اللَّهَ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهُدُونَ وَكُفَّارٌ لَا يُشْهِدُنَّ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا أَضْلَالًا لَعِيَّدًا ⑤

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا أَعْلَمُ بِكُنْدِ اللَّهِ لِيغْفِرُ لِأَنَّمَا وَلَا يَغْفِرُ لَأَنَّمَا طَرِيقًا ۝

الْأَطْرِيقُ جَهَنَّمُ خَلِيلُهُ فِيهَا أَبْدٌ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ⑥

لِيَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُ كُلُّ الرَّسُولُ بِالْحِقْنِ مِنْ

1 अर्थात् कोई अल्लाह के सामने यह न कह सके कि हमें मार्गदर्शन देने के लिये कोई नहीं आया।

2 अर्थात् इस्लाम से रोका।

ले कर^[1] आ गये हैं। अतः उन पर ईमान लाओ, यही तुम्हारे लिये अच्छा है, तथा यदि कुफ्र करोगे, तो अल्लाह ही का है, जो आकाशों तथा धरती में है, और अल्लाह बड़ा ज्ञानी गुणी है।

171. हे अहले किताब (ईसाइयो!) अपने धर्म में अधिकता न^[2] करो, और अल्लाह पर केवल सत्य ही बोलो। मसीह मर्यम का पुत्र केवल अल्लाह का रसूल और उस का शब्द है, जिसे मर्यम की ओर डाल दिया, तथा उस की ओर से एक आत्मा^[3] है, अतः अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाओ, और यह न कहो कि (अल्लाह) तीन हैं, इस से रुक जाओ, यही तुम्हारे लिये अच्छा है, इस के सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह ही अकेला पूज्य है, वह इस से पवित्र है कि उस का कोई पुत्र हो,

رَبِّكُمْ قَاتُلُوكُمْ إِنَّمَا تُكْفِرُونَ وَقَاتَلُوكُمْ بِاللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَمْدٌ

يَأَهْلَ الْكِتَابَ لَا تَغْلُبُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحُقْقُ إِنَّمَا الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَقْتَلُهَا كَلِمَتُهُ مَرْيَمُ وَرُؤْمُ مَنْهُ فَإِنَّمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا شَكِّيَّةً إِنَّمَا تُهْوَى بِخَلْقِ اللَّهِ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُلِّ بِاللَّهِ وَكُلِّهِ

1 अर्थात् मुहम्मद सल्लाहु अलैहि व सल्लम इस्लाम धर्म लेकर आ गये। यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि कर्मान ने किसी जाति अथवा देशवासी को संबोधित नहीं किया है। वह कहता है कि आप पूरे मानव विश्व के नबी हैं। तथा इस्लाम और कर्मान पूरे मानव विश्व के लिये सत्यर्म है जो उस अल्लाह का भेजा हुआ सत्यर्म है जिस की आज्ञा के आधीन यह पूरा विश्व है। अतः तुम भी उस की आज्ञा के आधीन हो जाओ।

2 अर्थात् ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल से पूज्य न बनाओ, और यह न कहो कि वह अल्लाह का पुत्र है, और अल्लाह तीन हैं: पिता और पुत्र तथा पवित्रात्मा।

3 अर्थात् ईसा अल्लाह का एक भक्त है, जिसे अपने शब्द (कुन) अर्थात् "हो जा" से उत्पन्न किया है। इस शब्द के साथ उस ने फ़रिश्ते जिब्रील को मर्यम के पास भेजा, और उस ने उस में अल्लाह की अनुमति से यह शब्द फूँक दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुये। (इब्ने कसीर)

आकाशों तथा धरती में जो कुछ है उसी का है, और अल्लाह काम बनाने के^[1] लिये बहुत है।

172. मसीह कदापि अल्लाह का दास होने को अपमान नहीं समझता, और न (अल्लाह के) समीपवर्ती फरिश्ते, तथा जो व्यक्ति उस की (वंदना को) अपमान समझेगा, तथा अभिमान करेगा, तो उन सभी को वह अपने पास एकत्र करेगा।
173. फिर जो लोग ईमान लाये, तथा सत्यकर्म किये, तो उन्हें उन का भरपूर प्रतिफल देगा, और उन्हें अपनी दया से अधिक भी देगा।^[2] परन्तु जिन्होंने (वंदना को) अपमान समझा, और अभिमान किया, तो उन्हें दुखदायी यातना देगा। तथा अल्लाह के सिवा वह कोई रक्षक और सहायक नहीं पायेंगे।
174. हे लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से खुला प्रमाण^[3] आ गया है। और हम ने तुम्हारी ओर खुली वही^[4] उतार दी है।
175. तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये, तथा इस (कुर्�आन को) दृढ़ता से

1 अर्थात् उसे क्या आवश्यकता है कि किसी को संसार में अपना पुत्र बना कर भेजो

2 यहाँ (अधिक) से अभिप्रायः स्वर्ग में अल्लाह का दर्शन है। (सहीह मुस्लिम: 181 त्रिमिज़ी: 2552)

3 अर्थात् मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लमा।

4 अर्थात् कुर्�आन शरीफ। (इब्ने जरीर)

لَنْ يُسْتَكِفَ الْمُسَيْمُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا
الْمُلِّيْكَةُ الْمُقْرَّبُونَ وَمَنْ يُسْتَكِفَ عَنْ
عِبَادِتِهِ وَيُسْكِنُهُ فِي حُشْرَهُ إِلَيْهِ جَمِيعًا^①

فَإِنَّا لِلنَّاسِ أَمْنَاءَ وَعَمِلُوا الصِّلْحَاتِ فَمُؤْمِنُهُمْ
أَجْوَرُهُمْ وَيَرْبِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَإِنَّا لِلنَّاسِ
إِسْتَهْلَكُوا وَإِسْتَكْبَرُوا فَيَعْذِبُهُمْ عَذَابًا
كَلِمَاتًا وَلَا يَعْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيَأْ
وَلَا يَنْصِرُهُمْ^②

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَإِنَّ زَلْكَ الْيَكْدَنَ لَوْرًا مُبِينًا^③

فَإِنَّمَا الَّذِينَ يُنْهَا أَمْمُوا بِاللَّهِ وَأَعْصَمُوا بِهِ

पकड़ लिया वह उन्हीं को अपनी दया तथा अनुग्रह से (स्वर्ग) में प्रवेश देगा। और उन्हें अपनी ओर सीधी राह दिखा देगा।

176. (हे नबी!) वह आप से कलाला के विषय में आदेश चाहते हैं। तो आप कह दें कि वह कलाला के विषय में तुम्हें आदेश दे रहा है कि यदि कोई एसा पुरुष मर जाये जिस के संतान न हो, (और न पिता और दादा) और उस के एक बहन हो, तो उस के लिये उस के छोड़े हुये धन का आधा है। और वह (पुरुष) उस के पूरे (धन का) वारिस होगा यदि उस (बहन) के कोई संतान न हो, (और न पिता और दादा हो)। और यदि उस की दो बहनें हों (अथवा अधिक) तो उन्हें छोड़े हुये धन का दो तिहाई मिलेगा। और यदि भाई बहन दोनों हों तो नर (भाई) को दो नारियों (बहनों) के बराबर^[1] भाग मिलेगा। अल्लाह तुम्हारे लिये (आदेश) उजागर कर रहा है ताकि तुम कुपथ न हो जाओ, तथा अल्लाह सब कुछ जानता है।

فَسَيُدْخَلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَقَصْلٌ
وَيَهُدِيْهُمُ اللَّهُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦﴾

يَسْقُتُونَكَ مُقْلِلًا إِنَّ اللَّهَ يُقْتَيَنُ كُلُّ فِي الْكَلَّةِ إِنَّ
إِمْرُوا هَذِهِ لَمْ يَأْتِ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ قَلْمَانَا
يَنْصُفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ بِرُبِّهِ أَنْ أَعْيَانٌ لَهَا وَلَدٌ
إِنْ كَانُوا كَانُوا أَشْتَهِيْنِ فَلَهُمَا الشَّلَبُ مِمَّا تَرَكُوا وَلَنْ
كَانُوا لِآخِرَةٍ يَرْجِعُوا إِلَى أَوْسَأِ فَلِلَّهِ كُوْمِثْلُ حَظٌ
الْأَنْتَيْرِينِ يَبْلِغُنَّ اللَّهُ لَمَّا نَصَلُوا وَاللَّهُ يُحِلُّ
شَيْءًا عَلَيْهِ ﴿٦﴾

1 कलाला की मीरास का नियम आयत नं 0 12 में आ चुका। जो उस के तीन प्रकार में से एक के लिये था। अब यहाँ शेष दो प्रकारों का आदेश बताया जा रहा है। अर्थात् यदि कलाला के साथ भाई बहन हों अथवा अल्लाती (जो एक पिता तथा कई माता से हों) तो उन के लिये यह आदेश है।